झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 / 2016

(विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा डाल्टनगंज स्थित सत्र परीक्षण संख्या 214 / 2015 में पारित दिनांक 05.07.2016 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 13.07.2016 के सजा के आदेश के विरुद्ध)

अनिल पाल, पिता- राम प्यारे पाल, निवासी ग्राम- मुरुमातु, डाकघर- कजरू, थाना-पांडु, जिला-पलामू।

... ...अपीलार्थी

बनाम

झारखंड राज्य

... ... प्रतिवादी

साथ में

आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 / 2016

पप्पू पासवान उर्फ़ पप्पू कुमार पासवान, पुत्र ज्ञानी पासवान उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी (मौजा)-गांव+ डाकघर- रत्नाग, थाना-पांडु, जिला-पलामू, झारखंड।

... ... अपीलार्थी

बनाम

झारखंड राज्य

....प्रतिवादी

साथ में

आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 883 / 2016

पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी

अपीलार्थी

बनाम

झारखंड राज्य

...प्रतिवादी

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता के लिए:	श्री जय शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता [आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1278 / 2016] श्री ए.के. साहनी और अजीत कुमार, अधिवक्ता [आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 867 / 2016] श्री नीलेश कुमार, एडोकेट श्री अमित कुमार, एडवोकेट [आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 883 / 2016]
प्रतिवादी के लिए:	श्री अभय कुमार तिवारी, एपीपी

[आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1278 / 2016]
श्री विश्वनाथ रॉय, विशेष पी.पी.
[आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 867 / 2016]
श्रीमती नेहला शर्मिन, विशेष पी.पी.
[आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 883 / 2016]

मुखबिर के लिए: श्री नागमणि तिवारी, अधिवक्ता

श्री अजीत कुमार दुबे, अधिवक्ता

सी.ए.वी. 23/01/2024 **घोषित दिनांक 05/03/2024**

प्रति सुरजीत नारायण प्रसाद, जे।

1. चूंकि सभी अपीलें दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय और सजा के आदेश से उत्पन्न होती हैं, इसलिए पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की सहमति से, उन्हें एक साथ लिया जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

प्रार्थना:

2. ये अपीलें सीआरपीसी की धारा 374 (2) के तहत सत्र परीक्षण संख्या 214 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा डाल्टनगंज में पारित दिनांक 05.07.2016 के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 13.07.2016 के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 364 ए / 34 के तहत दोषी ठहराया है और आरआई के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है प्रत्येक छह महीने के लिए एसआई से गुजरने के लिए जुर्माना लगाया गया।

अभियोजन का मामला:

3. यह न्यायालय, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अभियोजन मामले की संस्था की पृष्ठभूमि को संदर्भित करना उपयुक्त एवं उचित समझता है, जो सूचनादाता जनेश्वर महतो की लिखित रिपोर्ट के अनुसार यह है कि उसका बेटा किशोर कुमार मेहता अपने बहनोई (साला) राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू मेहता और चचेरे भाई सुरजीत कुमार मेहता के साथ चंदन नगर, छत्तीसगढ़ गया था, दिनांक 13/02/2015 को पंजीकरण संख्या JH-01BK-4913 वाली

कार आई-20 से वापस शाम को 5.00-5.30 बजे के बीच लौट रहे थे। आरोप है कि शाम करीब 7.30 बजे उन्होंने अपने बेटे से मोबाइल नंबर 9934616117 पर संपर्क करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि वह कहां पहुंच गया है। हालांकि उसका मोबाइल बजा लेकिन कोई अटेंड नहीं हुआ। इसके बाद सूचना देने वाला रात 10.00 बजे तक अपने बेटे से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा। लेकिन मोबाइल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जिसके कारण मुखबिर चिंता में पड़ गया और उसने अपने बेटे के बहनोई (साला) के मोबाइल पर भी संपर्क करने की कोशिश की और वहां से भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरोप है कि पूरे परिवार ने गढ़वा रोड डालटनगंज में उनकी तलाश शुरू की लेकिन उनका पता नहीं चल सका।

4. अगले दिन अर्थात दिनांक 14.02.2015 को प्रातः लगभग 8.00 बजे सूचनादाता के पुत्र की उक्त आई-20 कार थमावा वन घाटी में लावारिस पाई गई। आरोप है कि उसी समय प्रातः 8.00 बजे सूचना देने वाले के पुत्र ने मोबाइल फोन क्रमांक 9504699565 के माध्यम से पत्नी के मोबाइल फोन पर सूचना दी कि उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्हें जंगल में रखा गया है। उन्होंने थाने में मामला दर्ज नहीं कराने को भी कहा था। यह भी आरोप है कि मुखबिर के बेटे ने अपने दोस्त को मोबाइल पर बताया कि अपराधियों द्वारा अपहरण के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और फिरौती के रूप में 15,00,000/- रुपये मांग रहे हैं अन्यथा वे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके पुत्र के मित्र ने यह बात मुखबिर को बताई, जिसे सुनकर वह बहुत भयभीत हो गया और पुलिस को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर चैनपुर थाना प्रकरण क्रमांक 18/15 धारा 364ए, भादवि अंतर्गत पंजीयन किया अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध ।

5. पुलिस ने जांच के दौरान एक आरोपी अनिल पाल को गिरफ्तार किया और जिसके कबूलनामे पर और घटना स्थल के बारे में पुलिस को इशारा करते हुए, पुलिस उक्त अनिल पाल के साथ जंगल में घुस गई और पीड़ितों को आरोपी व्यक्तियों के चंगुल से बचाया।

6. जांच अधिकारी ने मामले की जांच की और भोला सिंह, पिंटू सिंह, लव सिंह, पारस सिंह और बबलू के खिलाफ पूरक जांच को लंबित रखते हुए धारा 364 ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

7. आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान एसडीजेएम ने 30.03.2015 को धारा 364 ए/34 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लिया और चूंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए पुलिस के कागजात आरोपी व्यक्तियों को दिए गए थे और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।

8. पक्षों को सुनने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 364 ए / 34 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए थे, जिसे पढ़ा गया और उन्हें हिंदी में समझाया गया, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल मिलाकर दस गवाह, जिसमें सूचनाकर्ता, तीनों पीड़ित, सूचनाकर्ता की बहू, सूचनाकर्ता का भतीजा, मामले का आईओ और टी.आई परेड रखने वाले मजिस्ट्रेट शामिल हैं। और बचाव पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की गई है।

10. वे हैं पी. डब्ल्यू. 1 ब्रज कुमार महतो, पी. डब्ल्यू. 2 जनेश्वर महतो (मुखबिर), पी. डब्ल्यू. 3 किशोर कुमार मेहता उर्फ़ किशोर कुमार (मुखबिर और पीड़ित का पुत्र), पी. डब्ल्यू.4 सुरजीत कुमार (पी. डब्ल्यू.3 और पीड़ित के चचेरे भाई), पी. डब्ल्यू.5 राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू मेहता (पी. डब्ल्यू.3 के बहनोई, और पीड़ित), पी. डब्ल्यू.6 लीलावती देवी (पी. डब्ल्यू..3 की पत्नी), पी. डब्ल्यू.7 श्याम बिहारी मेहता, पी. डब्ल्यू.8 संजय कुमार मालवीय, मामले के आईओ, पी. डब्ल्यू.9 देवदास भंडारी, एक पुलिस हवलदार, जो एक औपचारिक गवाह हैं और पी. डब्ल्यू.10 बिनोद कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्होंने सेंट्रल जेल, डाल्टनगंज में आरोपी अनिल पाल और पिंटू कुमार सोनी की टीआई परेड आयोजित की।

11. ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्य, परीक्षा-इन-चीफ और जिरह दर्ज करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित पाया। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया और उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो तत्काल अपील का विषय है।

12. आक्षेपित निर्णय को सभी तीन अपीलकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी गई है, जिन्होंने अलग-अलग अपील दायर की है और दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को कानून की नजर में खराब घोषित करने के लिए अलग-अलग आधार लिए हैं।

<u>2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 और 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 883 में अपीलकर्ताओं की ओर से अभियोग:</u>

13. श्री जय शंकर त्रिपाठी, 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 [अनिल पाल] में अपीलकर्ता के विद्वान वकील और श्री नीलेश कुमार, विद्वान वकील श्री द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। श्री अमित कुमार, अपीलकर्ता के विद्वान वकील [श्री अमित कुमार] 2016 की अपील (डीबी) संख्या 883] ने संयुक्त रूप से निम्नानुसार तर्क दिया है:

i. अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे साबित होने वाले आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इस तरह का आधार इस कारण से लिया गया है कि अपीलकर्ताओं के अनुसार किसी भी गवाह ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत अपराध करने के अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि नहीं की है।

ii. दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि धारा 364A IPC के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए प्राथमिक घटक यह है कि फिरौती की मांग की जानी चाहिए जैसा कि भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदान किए गए पूर्वोक्त दंड अपराध की सामग्री से स्पष्ट होगा। लेकिन गवाहों की गवाही का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि फिरौती की कोई मांग नहीं की गई है और इसलिए अभियोजन पक्ष के बयान को भी साबित कहा जाएगा, तो इसे धारा 364 ए आईपीसी के तहत मामला नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह धारा 363 आईपीसी के दायरे में आएगा।

iii. इस मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई फिरौती की मांग नहीं की गई है, बल्कि पीड़ित, किशोर कुमार मेहता उर्फ़ किशोर कुमार (पी.डब्ल्यू 3) ने खुद अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी पत्नी से फिरौती की मांग के बारे में कहा है और कथित पीड़ितों को छोड़कर किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनसे फिरौती की कोई मांग की गई थी।

iv. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि धारा 364 ए आईपीसी के तहत अपराध के दंडात्मक प्रावधान का अभाव है, इसलिए धारा 364 ए आईपीसी के

तहत की गई सजा को अनुचित और अनुपयुक्त कहा जाएगा और दोषसिद्धि का निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ नहीं होगा।

v. आगे का आधार यह लिया गया है कि आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध को आकर्षित करने वाला कोई घटक भी नहीं है।

vi. यह भी आधार लिया गया है कि परीक्षण पहचान परेड (टीआईपी) देरी के बाद आयोजित की गई है, इसलिए इस तरह की पहचान पर कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है और ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी व्यक्तियों को टीआईपी पर रखने से पहले गवाहों को दिखाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर अन्य आधारों के साथ, जैसा कि ऊपर उत्तेजित किया गया है, दोषसिद्धि और सजा के आदेश का निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

vii. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

a. विश्वनाथ गुप्ता बनाम उत्तरांचल राज्य, (2007) 11 एससीसी 633

b. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वासिफ हैदर, (2019) 2 एससीसी 303

<u>आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 / 2016 में अपीलकर्ता की ओर से तर्क:</u>

14. 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 और 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 883 में लिए गए आधारों के अलावा, 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 में अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री ए.के साहनी द्वारा आधार लिया गया है कि:

i. अपीलकर्ता को इस आरोप के आधार पर दोषी ठहराया गया है कि अपीलकर्ता-पप्पू पासवान कथित बोलेरो वाहन चला रहा था, जिसका पंजीकरण संख्या 2012 है. जेएच -10 बी / 1459, लेकिन गवाहों में से किसी ने भी गवाही नहीं दी है कि अपीलकर्ता-पप्पू पासवान उस समय वाहन चला रहा था जब सह-अभियुक्त, अनिल पाल और पिंटू सोनी द्वारा अपराध किया गया था; और केवल सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान (विस्तार 8) के आधार पर, उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया है।

ii. यह आगे तर्क दिया गया है कि किसी भी गवाह ने अपनी जिरह के दौरान इस अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया है।

iii. जहां तक अपीलकर्ता-पप्पू पासवान की पहचान का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि पी. डब्ल्यू. 3-किशोर कुमार मेहता, जो पीड़ितों में से एक है, अदालत में मुकदमे के दौरान भी इस अपीलकर्ता की पहचान करने में विफल रहा है। पी. डब्ल्यू. 4-सुरजीत कुमार व पी. डब्ल्यू.5, जो पीड़ित हैं, ने आरोपी पप्पू पासवान की पहचान पहली बार उसकी परीक्षा की तिथि पर विचारण के दौरान चेहरे से की है और यहां तक कि पी. डब्ल्यू. 3 भी कटघरे में मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता की पहचान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलकर्ता-पप्पू पासवान की पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू.5 द्वारा पहली बार न्यायालय में पहचान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि आरोपी की संभावना थी इन गवाहों को या तो जेल हिरासत में या जेल से अदालत में स्थानांतरित करने की अवधि के दौरान उनकी परीक्षा से पहले दिखाया गया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

IV. अपीलकर्ता की जटिलता पर भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा मोबाइल की बरामदगी और कॉल डिटेल रिपोर्ट वाले सीडीआर के आधार पर विचार किया गया है, लेकिन केवल कॉल रिकॉर्ड के पूर्वोक्त विवरण के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, जांच अधिकारी या किसी भी गवाह द्वारा यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि उपरोक्त मोबाइल का उपयोग कभी अपराध करने में किया गया था।

V. श्री एके साहनी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने टीआईपी के मुद्दे पर निर्णय और न्यायालय में आरोपी व्यक्तियों की पहचान के आधार पर **अमरीक सिंह बनाम पंजाब सरकार (2022) 9 एससीसी 402 और रमेश बनाम कर्नाटक सरकार (2009) 15 SCC 35.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देकर दोषसिद्धि के आधार पर भरोसा किया है।

<u>प्रतिवादी-राज्य की ओर से तर्क:</u>

15. श्री अभय कुमार तिवारी, 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 में विद्वान ए.पी.पी. श्री विश्वनाथ रॉय, विद्वान विशेष 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 में पीपी और 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 883 में अपीलकर्ताओं की ओर से उत्तेजित आधारों का संयुक्त रूप से विरोध किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है:

i. कि पीड़ितों, पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का पूरी तरह से समर्थन किया है। मुख्य परीक्षा के दौरान उन्होंने उसी तरीके और मोड में अभियोजन पक्ष का पूरा बयान सुनाया और अपनी जिरह के दौरान भी विचलित नहीं हुए।

ii. जहां तक टीआईपी आयोजित करने में देरी का संबंध है, प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान मामले में रिमांड के बाद आरोपी व्यक्तियों को टीआईपी पर रखा गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि टीआईपी आयोजित करने में देरी हुई थी। इसके अलावा, टीआईपी आयोजित करने में देरी से बचाव पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ और केवल कुछ देरी के लिए, बचाव पक्ष के संस्करण के अनुसार, टीआईपी में आरोपी व्यक्तियों की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित करने में विफलता भी अदालत में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। यह तर्क दिया गया है कि टीआईपी में एक आरोपी की पहचान केवल अदालत में आरोपी की पहचान की पुष्टि करने वाली एक परिस्थिति है।

iii. यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं, अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान पी. डब्ल्यू..3 और 5 द्वारा T। परेड और अदालत में भी की गई है। पी. डब्ल्यू.3 ने उपरोक्त दो आरोपियों की पहचान न्यायालय में भी की है। पीडब्लू 5 ने टीआई परेड में आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान की। और अदालत में उन्होंने उपरोक्त दोनों आरोपियों की पहचान की। जहां तक अपीलकर्ता पप्पू पासवान का संबंध है, पी.डब्ल्यू 4 ने अदालत में

उसकी पहचान आमने-सामने की है। इसी तरह, पी.डब्ल्यू-5 ने अदालत में तीनों आरोपियों की पहचान चेहरे और नाम दोनों से की।

iv. यह तर्क दिया गया है कि यह जांच के दौरान आया है कि अपीलकर्ता-पप्पू पासवान बोलेरो वाहन का चालक था, जिसका पंजीकरण नंबर था। जेएच - 10 बी -1459 जिसका इस्तेमाल पीड़ितों के अपहरण में किया गया था और पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था और इस प्रकार कथित अपराध में आरोपी पप्पू पासवान की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

v. जहां तक अपीलकर्ताओं के तर्क का संबंध है कि आईपीसी की धारा 364 ए को आकर्षित करने वाले घटक की कमी है, प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू 3 की पत्नी पी.डब्ल्यू 6 ने कहा है कि उसे अपने मोबाइल पर 15 लाख की फिरौती की मांग का फोन आया है और मांग पूरी नहीं होने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी पुष्टि मुखबिर पी. डब्ल्यू.2 इसके अलावा, सभी गवाहों ने फिरौती की मांग के बारे में भी कहा है और फिरौती की मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

vi. यह आधार लिया गया है कि चूंकि फिरौती की मांग के संबंध में विशिष्ट बयान है और अपहरण के दौरान पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 को पिस्तौल के खतरे का परिणाम भी दिखाया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से यह आधार लेना गलत है कि फिरौती की मांग का कोई घटक नहीं है, बल्कि अगर पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 के साथ-साथ पी.डब्ल्यू 6 की गवाही को एक साथ लिया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि 15 लाख रुपये की फिरौती की विशिष्ट मांग है।

vii. तर्क, जो आगे बढ़ाया गया है कि धारा 34 आईपीसी का कोई घटक नहीं है, प्रस्तुत किया गया है कि अब तक मामले के तथ्यों में ऐसा नहीं है, ये दो अपीलकर्ता अर्थात् अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी चिंतित हैं कि उन्हें धारा 34 आईपीसी की सहायता से दोषी ठहराया गया है, बल्कि उन्हें अपहरण के कमीशन के प्रत्यक्ष श्रेय के आधार पर दोषी ठहराया गया है। फिरौती का उद्देश्य।

viii. इसके अलावा श्रीमती नेहाला शर्मिन, विद्वान एपीपी ने अब तक अपीलकर्ता-पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी का संबंध है कि वह हिस्ट्रीशीटर है और एक मामले में उसे दोषी ठहराया गया है , दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में किए गए अवलोकन के अनुसार।

ix. यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह आधार लेना गलत है कि कोई वसूली नहीं हुई है, बल्कि उसके अनुसार जैसा कि जांच अधिकारी (पी.डब्ल्यू-8) की गवाही के पैराग्राफ 8 से स्पष्ट होगा, वाहन को सह-अभियुक्त अनिल पाल, 2016 की सीआर अपील (DB) संख्या 1278 में अपीलकर्ता द्वारा किए जा रहे खुलासे पर बरामद किया गया था।

16. उपरोक्त आधारों के आधार पर विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 ए / 34 के तहत आरोप को सफलतापूर्वक साबित करने में सक्षम रहा है और जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया गया है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, विशेष रूप से गवाहों की गवाही और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलोकन किया है।

18. पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्क पर विचार करने से पहले यह न्यायालय अब विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई गवाही के अनुसार, गवाहों के बयान पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

<u>गवाहों की गवाहियां</u> :

19. **पी. डब्ल्यू.1-ब्रज कुमार महतो** ने शपथ पर कहा है कि घटना 11.02.2015 की है। किशोर, राम कुमार मेहता और सुरजीत जब कार से छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे और रात लगभग 8.00 बजे करसो बोंगारी घाटी पहुंचे थे, तो उनका अपहरण कर लिया गया। उन्होंने उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की लेकिन उनके मोबाइल बंद थे। इस गवाह ने गवाही दी है कि वह ब्रज किशोर मेहता, मोहन मेहता, अरुण मेहता, बिसुन्देव मेहता और श्याम मेहता के साथ छत्तीसगढ़ में पीड़ित की तलाश करने गया था और जब

वे लौट रहे थे, तो उन्हें करसो बोंगारी जंगल में उनकी कार मिली। इस गवाह ने आगे कहा है कि किशोर (पीड़ितों में से एक) ने अपनी बेटी देवी कुमारी से बात की थी और कहा था कि उनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता 15,00,000/- रुपये की फिरौती मांग रहे हैं या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस गवाह ने आगे गवाही दी है कि फिर से किशोर के दोस्त का फोन भी जल्दबाजी में 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए आया था अन्यथा अपहरणकर्ता पीड़ितों को मार देंगे। इसके बाद वह मुखबिर के साथ थाने गया और मामला दर्ज कराया।

20. यह भी गवाही दी गई है कि पिंटू सोनी और अनिल पाल ने तीनों व्यक्तियों का अपहरण किया था, जिसे वह समाचार पत्र से जान सकता था। इस गवाह ने कहा है कि पुलिस उन्हें रिहा करने के बाद 15.02.2015 को लाई थी। इस गवाह ने आगे कहा है कि चूंकि उसने अपहरणकर्ताओं को इस रूप में नहीं देखा था, इसलिए वह उनकी पहचान नहीं करता है। इस गवाह ने अदालत की कटघरे में खड़े आरोपी पिंटू सोनी और अनिल पाल की पहचान की, लेकिन आरोपी पप्पू पासवान को देखकर कहा कि वह उसे नहीं पहचानता है और आगे कहा है कि वह तीनों आरोपियों को पहली बार अदालत में देख रहा है।

21. बचाव पक्ष द्वारा जिरह के दौरान, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि किसी भी अपहरणकर्ता ने उसे फोन नहीं किया था और न ही किशोर ने उसे फोन किया था और किशोर, राम कुमार मेहता और सुरजीत खुद घर आए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रभात खबर में पीड़ितों के अपहरण की खबर पढ़ी थी।

22. **प्रकरण के मुखबिर पी. डब्ल्यू.2 जनेश्वर महतो** ने बताया है कि घटना दिनांक 13.02.2015 की है जब उनके पुत्र किशोर कुमार, भतीजे सुरजीत कुमार एवं उनके पुत्र श्रीराम उर्फ़ लड्डू के साले कार से चंदनपुर से लौट रहे थे, उनका थामावा जंगल में अपहरण कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन पर उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उनसे संपर्क करने में सफल नहीं हो सके। इस गवाह ने कहा है कि उसने अपने समधी ब्रज कुमार, अपने बहनोई विजय और अन्य को सूचित किया था। जब रात में उसका बेटा और अन्य वापस नहीं लौटे तो वह अन्य लोगों के साथ वाहन से उनकी तलाश में निकला।

23. इस गवाह ने आगे कहा है कि तलाशी के दौरान जब वे करसो जंगल के पास पहुंचे तो उसे पीड़ितों की कार पास के क्षेत्र में मिली लेकिन पीड़ित कार में नहीं मिले। जब वे चैनपुर पुलिस स्टेशन को सूचित करने पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें अपनी बहू का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उनके बेटे और अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया है और उन्होंने पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा और पुलिस को सूचित न करना।

24. इस गवाह ने आगे कहा है कि लगभग 3.00 बजे नरेंद्र को 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए एक फोन कॉल किया गया था और इसी तरह की कॉल छोटू बाबू को भी की गई थी। इस गवाह ने कहा है कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं से समय मांगा, लेकिन शाम 500 बजे के बाद अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई फोन नहीं आया और फिर उन्होंने लिखित रिपोर्ट दर्ज करके चैनपुर पुलिस को सूचित किया, जिसे बबलू ने लिखा था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया। इस गवाह की पहचान होने पर लिखित रिपोर्ट को दस्तावेज-1 के रूप में चिह्नित किया गया था।

25. इस गवाह ने आगे कहा है कि 15.02.2015 को शाम 6.00 बजे उसका बेटा, श्रीराम और सुरजीत लौट आए और उस समय उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसके बाद, यह गवाह पुलिस स्टेशन गया। इस गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि उसके बेटे और उसके साथी ने अपने अपहरणकर्ताओं के नाम उसे नहीं बताए थे।

26. आरोपी व्यक्तियों को कटघरे में देखने पर, इस गवाह ने उन्हें नहीं पहचाना और कहा कि उसने उन्हें पहले नहीं देखा था। जिरह के दौरान इस गवाह ने कहा है कि उसे अपहरण के बारे में अगले दिन 14 तारीख को सुबह लगभग 7.30 बजे पता चला। इस गवाह ने बताया है कि गाड़ी खाली देखकर उसे अपहरण का शक हुआ था।

27. **पी. डब्ल्यू.3 किशोर कुमार मेहता उर्फ़ किशोर कुमार** मुखबिर का बेटा है और पीड़ितों में से एक है। उन्होंने कहा है कि दिनांक 13.02.2015 को सायं 7.00 बजे जब वे चंदनपुर से लौट रहे थे और अपने चचेरे भाई सुरजीत कुमार और बहनोई राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू मेहता के साथ कार से चैनपुर थाना के भीतर थमावा घाटी में पहुंचे थे, उस समय एक बोलेरो वाहन ने उनकी कार को ओवरटेक किया और सड़क को अवरुद्ध करते हुए उनकी कार के सामने तिरछा रुक गया, जिससे उन्हें कार रोकने के लिए मजबूर होना

पड़ा। आरोप है कि उक्त बोलेरो वाहन से 4-5 लोग उतरे, जिन्होंने कार का गेट खोलकर अपने चचेरे भाई सुरजीत को जबरन नीचे उतार दिया और थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद, मुखबिर कार से नीचे आया और उनसे पूछा कि वे उसके भाई के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं। इसी दौरान आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी ने पीछे से उनके सिर पर पिस्तौल दबा दी और जबरन बोलेरो गाड़ी पर बैठाकर ले गए।

28. उन्होंने कहा है कि 2-3 घंटे तक वाहन चलाने के बाद उन्हें और उनके साथियों को उक्त वाहन से उतरने के लिए मजबूर किया गया और वहां से उन्हें जंगल में ले जाया गया और उन्हें बताया गया कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इस गवाह ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें पूरी रात जंगल में एक पेड़ के नीचे रखा और सुबह उन्होंने इस गवाह से पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को फोन करने के लिए कहा और वे उनकी रिहाई के लिए 15,00,000/- रुपये की फिरौती मांग रहे थे।

29. इस गवाह ने कहा है कि उन्होंने उसे अपनी पत्नी से बात करवाई और उससे कहा कि वह अपनी पत्नी से 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहे और मामले को पुलिस को सूचित न करे। इस गवाह ने कहा है कि 4,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के बाद परिवार के सदस्यों ने अपहरणकर्ताओं को सूचित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं था और उन्हें मारने की धमकी दी। इस गवाह ने कहा है कि बदमाश बार-बार उसके परिवार के सदस्यों से पैसे मांग रहे थे और वे जबरन इस गवाह को उसके परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए मजबूर करते हैं।

30. इस गवाह ने कहा है कि जब उसी दिन पैसे की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो बदमाश उसके परिवार के सदस्यों से फिरौती की मांग कर रहे थे, 15.02.2015 को उसने आरोपी व्यक्तियों की पहचान की और उनके बीच चल रही बातचीत से उनके नाम पिंटू सोनी, अनिल पाल, भोला सिंह, लव सिंह और पारस सिंह जान सके। इस गवाह ने कहा है कि घटना के तीसरे दिन अपराह्न लगभग 4.00 बजे अभियुक्त व्यक्तियों ने उनसे कहा कि चूंकि उग्रवादी आ गए हैं, हमें भाग जाने दीजिए अन्यथा वे मार देंगे। इसके बाद सभी भागने लगे और पुलिस कर्मियों के बुलावे पर उनके पास गए, जो उन्हें मनिका थाना प्रभारी के पास ले आए और जहां से उन्हें अपने-अपने घर पहुंचाया गया।

31. इस गवाह ने कहा है कि उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया था जहां उसने सब कुछ बताया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका बयान भी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था और इस गवाह की पहचान पर, धारा 164 सीआरपीसी के तहत उनके बयान पर हस्ताक्षर को दस्तावेज. 2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

32. इस गवाह ने आगे कहा है कि उसने आरोपी व्यक्तियों की टीआई परेड में भाग लिया था जिसमें उसने आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बहनोई ने भी टीआई परेड में भाग लिया था जिसमें उन्होंने उक्त दो आरोपियों की पहचान भी की थी। इस गवाह ने कोर्ट की कटघरे में आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान की, जबकि आरोपी पप्पू पासवान को देखकर उसने कहा कि वह उसे नहीं जानता।

33. इस गवाह ने पैरा 9 में स्वीकार किए गए जिरह के दौरान अपने साक्ष्य में कहा है कि टीआई परेड घटना के एक महीने बाद आयोजित की गई थी और पैरा 11 में आगे कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था।

34. **पी. डब्ल्यू.4 सुरजीत कुमार** भी पीड़ित और मुखबिर के भतीजे में से एक है। इस गवाह ने कहा है कि घटना दिनांक 13.02.2015 को सायं लगभग 7.00 बजे की है जब वह अपने चचेरे भाई किशोर कुमार मेहता, अपने बहनोई राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू मेहता और अपनी बहन नीरा कुमारी के साथ कार नंबर नं 1 पर चंदनपुर से आगे बढ़ा। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन को रामानुजगंज में उतार दिया गया था और उसके बाद वे डाल्टनगंज के लिए रवाना हुए।

35. इस साक्षी के अनुसार जब वे थमावा घाटी के पास पहुंचे तो एक बोलेरो वाहन ने उन्हें ओवरटेक किया और उनकी कार को रोक दिया। उस गाड़ी से 6-7 लड़के उतरे। उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर जबरन नीचे उतारा और थप्पड़ मारने लगे और बोलेरो गाड़ी पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा है कि इसके बाद, वे उनके चचेरे भाई किशोर कुमार मेहता और उनके बहनोई लड्डू कुमार मेहता को भी वाहन में ले आए और उन्हें बोलेरो की अगली सीट पर भी बैठाया। बदमाशों ने उन्हें अपना सिर नीचे रखने और वाहन के बाहर पाइप न करने का आदेश दिया।

36. उसने कहा है कि उनके पीछे दो लड़के बैठे थे, जिनके पास पिस्तौल थी और दो व्यक्ति उनके दोनों तरफ बैठे थे। उन्होंने कहा है कि 2-3 घंटे तक वाहन चलाने के बाद, वे उन्हें नीचे उतार दिया और उन्हें एक तालाब में ले गए और उनसे अलग-अलग पूछताछ शुरू कर दी। इस गवाह ने कहा है कि बदमाशों में से एक ने उससे पैसे लिए और उससे कहा कि वह किसी को न बताए अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। उनसे अलग-अलग पूछताछ के बाद सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया। उनका मोबाइल और पैसे छीनकर जंगल में रख दिए।

37. इस गवाह ने कहा है कि बदमाशों ने उन्हें पूरी रात जंगल में रखा और अगले दिन सुबह लगभग 8.00 बजे उन्होंने अपने चचेरे भाई किशोर से कहा कि वह अपने अपहरण की सूचना मोबाइल के माध्यम से 15,00,000/- रुपये लाए, अन्यथा तीनों को मार दिया जाएगा।

38. इस गवाह ने कहा है कि बदमाशों ने उसके भाई को उसके परिवार के सदस्य से बात करवाई। इस गवाह ने बताया है कि जब फिरौती की व्यवस्था नहीं की गई तो बदमाशों ने धमकी दी कि अगर सुबह तक फिरौती नहीं लाई गई तो उन्हें मारकर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद बदमाशों ने मामले को शाम तक के लिए टाल दिया और फिरौती वसूलने के लिए जमकर दबाव बना रहे थे।

39. इस गवाह ने बताया है कि बदमाश आपस में अनिल पाल, पिंटू सोनी, भोला सिंह, पारस सिंह, बबलू सिंह, लव सिंह, पिंटू सिंह आदि के नाम पुकारकर बात कर रहे थे और उन्होंने अपना चेहरा खुला रखा था। इस गवाह ने कहा है कि 15.02.2015 को बदमाशों ने कहा कि चूंकि चरमपंथी आए हैं, इसलिए वे उन सभी को मार देंगे और इसलिए वे उपद्रवियों के साथ भागने लगे। पुलिस के बुलावे पर वे उनके पास गए, जो उन्हें मनिका थाना ले आए और वहां से उन्हें चैनपुर थाना क्षेत्र लाया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें उनके घर छोड़ दिया गया।

40. इस गवाह ने कहा है कि उसका बयान अदालत में भी दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिन्हें विस्तार 3, 3/1

और 3/2 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने कोर्ट में आरोपी पप्पू कुमार पासवान को आमने-सामने पहचान लिया।

41. **पी. डब्ल्यू.5 राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू** घटना का तीसरा शिकार है। उन्होंने भी उसी तरीके से गवाही दी है जैसे पी.डब्ल्यू 3 और 4 ने गवाही दी थी। उन्होंने कहा है कि अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दिया है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान के दो पन्नों पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिन्हें दस्तावेज. 4 और 4/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस गवाह ने टीआई परेड में भाग लेने और उसमें आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान करने की बात कही है। गवाह ने तीनों आरोपियों की पहचान नाम और चेहरे से की।

42. इस गवाह ने अपनी जिरह के दौरान पैराग्राफ 5 में अपने साक्ष्य में कहा कि आरोपी व्यक्तियों को घटना से पहले उसके बारे में पता नहीं था और पैराग्राफ 6 में कहा गया था कि उसका बयान मनिका थाना में और फिर चैनपुर थाना में और उसके बाद अदालत में भी दर्ज किया गया था। इस गवाह ने पैरा 7 में आगे कहा है कि टीआई परेड घटना के एक महीने बाद आयोजित की गई थी और टीआई परेड के दिन से एक सप्ताह के बाद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था।

43. **पी. डब्ल्यू.6 लीलावती देवी** पीड़ितों में से एक किशोर कुमार मेहता (पी. डब्ल्यू.3) की पत्नी हैं। उन्होंने कहा है कि घटना 13.02.2015 को शाम 7.00 बजे की है। उस दिन उनके पति किशोर कुमार मेहता, देवर सुरजीत कुमार मेहता और भाई राम कुमार मेहता अपनी कार से चंदनपुर से डाल्टनगंज लौट रहे थे। उसने कहा है कि जब उसने अपने पति से मोबाइल पर संपर्क किया, तो उसने उसे बताया कि तीनों लौट रहे हैं और उसे उनके लिए भोजन तैयार रखने के लिए कहा। इस गवाह ने आगे कहा है कि एक घंटे के भीतर खाना तैयार करने के बाद, उसने अपने पति के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद, इस गवाह ने अपने देवर और भाई से उनके संबंधित मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कॉल अटेंड नहीं किया। चिंतित होने के कारण इस गवाह ने अपने ससुराल के घर के साथ-साथ अपने ससुराल वालों को भी फोन किया, जिन्होंने बताया कि वे उनकी तलाशी ले रहे थे।

44. उसने बताया है कि उस दिन उसका पति, देवर और भाई डाल्टनगंज नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगले दिन 14.02.2015 को सुबह 7.00 बजे कार थमावा घाटी में लावारिस हालत में पाई गई। उसने कहा है कि उसके बाद, उसके मोबाइल पर सुबह 8.00 बजे मोबाइल नंबर 9504699565 से एक कॉल आया जिसमें उसके पति और उसके पति ने 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा, क्योंकि उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्होंने पुलिस को सूचित न करने का भी निर्देश दिया अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा।

45. इस गवाह ने कहा है कि इसके बाद, अपहरणकर्ताओं ने लगातार फिरौती की रकम की मांग की और जब शाम को उसके पास फोन आया, तो उसने उन्हें बताया कि केवल 10,00,000/- रुपये की व्यवस्था की गई है और अपहरणकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे 10,00,000/- रुपये स्वीकार करने के बाद अपहृत व्यक्तियों को छोड़ दें, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने 15,00,000 रुपये की पूरी राशि की व्यवस्था के लिए दबाव डाला, और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

46. इस गवाह ने कहा है कि 15.02.2015 को शाम 6-7.00 बजे के बीच पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा होने के बाद उसके पति, देवर और भाई को ले आई। इस गवाह ने कहा है कि पीड़ितों ने अपहरणकर्ताओं के रूप में पिंटू सोनी, अनिल पाल, लव सिंह और भोला सिंह के नाम बताए थे। उसकी जिरह में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो इस गवाह की विश्वसनीयता के बारे में विपरीत धारणा दे सके।

47. **पी. डब्ल्यू.7 श्याम बिहारी महतो** पी. डब्ल्यू.1 का भतीजा है। उन्होंने कहा है कि घटना 13.02.2015 को शाम लगभग 7-8.00 बजे की है। इस गवाह ने कहा है कि उनके चाचा ने कहा है कि उनकी बेटी ने सूचित किया है कि लड्डू महतो उर्फ़ श्रीराम महतो, किशोर कुमार मेहता और उनके चचेरे भाई सुरजीत कुमार चंदनपुर से लौट रहे थे, लेकिन उनके घर नहीं पहुंचे थे और इस पर जब वे उनकी तलाश में गए, तो उन्हें थमावा जंगल में किशोर कुमार मेहता की कार लावारिस हालत में मिली। इस गवाह ने कहा है कि वे लगभग एक घंटे तक कार पर रुके और आस-पास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन सभी ने किसी भी जानकारी से इनकार किया।

48. इस गवाह ने कहा है कि 14-02-2015 को लगभग 8.00 बजे उसकी चचेरी बहन लीलावती देवी ने फोन पर सूचित किया कि तीनों का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता फिरौती के रूप में 15,00,000/- रुपये की मांग कर रहे हैं। इस गवाह के चाचा ने कहा कि उनकी बेटी 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस समय तक पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। इस गवाह ने कहा है कि 14.02.2015 को मामले की सूचना चैनपुर पुलिस स्टेशन को दी गई थी। हालांकि इस गवाह ने फिर कहा है कि इसकी सूचना जनेश्वर महतो ने थाने को दी थी।

49. इस गवाह ने कहा है कि 15-02-2015 को उसने अपने चचेरे भाई लड्डू मेहता उर्फ़ श्रीराम मेहता के साथ अपने घर लौटने के बाद बात की थी, जिसने बताया कि बदमाशों अनिल पाल, पिंटूसोनी, पारस सिंह, लव सिंह और एक और जिसका नाम वह याद करने के लिए गिर गया, ने उसका अपहरण कर लिया था। यह गवाह सुनी-सुनाई गवाह है और उसने अपनी चचेरी बहन और पीड़ितों से जो कुछ भी सुना, उसने न्यायालय में गवाही दी।

50. **पी. डब्ल्यू.8 संजय कुमार मालवीय** प्रकरण के आई.ओ. उन्होंने कहा है कि 14.02.2015 को उन्हें चैनपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन सूचनादाता जनेश्वर महतो ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर चैनपुर थाना प्रकरण संख्या 18/2015 धारा 364क भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर उसने स्वयं विवेचना का प्रभार अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने साक्षर कांस्टेबल सावंत कुमार दास की कलम में अपने हस्ताक्षर के तहत समर्थन साबित किया, जिसे दस्तावेज 1/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस गवाह की पहचान पर औपचारिक एफआईआर को दस्तावेज -5 के रूप में चिह्नित किया गया था।

51. इस गवाह ने कहा है कि जांच का प्रभार संभालने के बाद, उसने मुखबिर के बाद के बयान को दर्ज किया और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल की ओर बढ़ गया। उन्होंने कहा है कि घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान गवाहों ने बताया कि उत्तर दिशा में एक सफेद रंग की आई-20 कार लावारिस हालत में खड़ी पाई गई, जिसे अपहृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्य ले गए।

52. इस गवाह ने कहा है कि उसने मोबाइल फोन नंबर 9504699565 के टॉवर लोकेशन का पता लगाने के लिए मोबाइल के माध्यम से एसपी पलामू के तकनीकी अनुभाग को सूचित किया, जिसका उल्लेख एफआईआर में किया गया था, जहां से उक्त मोबाइल का स्थान लातेहार में मनिका बताया गया था और प्रभारी अधिकारी मनिका थाना से संपर्क किया गया था। उन्होंने बताया कि भोला सिंह का एक पुराना गिरोह है, जिसने कई लोगों का अपहरण किया है, लेकिन उसकी गतिविधि का पता नहीं है।

53. उसने आगे कहा है कि गोपनीय सूचना पर उसने आरोपी अनिल पाल को अपने ससुराल के ग्राम-बाड़ी से पीछा करते हुए गिरफ्तार किया, जिसने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने साथियों भोला सिंह, पिंटूसोनी, लव सिंह, पिंटू सिंह, पारस सिंह आदि का नाम लिया। इस गवाह ने कहा है कि आरोपी अनिल पाल के इशारे पर वह उक्त आरोपी और प्रभारी अधिकारी मनिका थाना के साथ केरी महुआ वन गया और जब वे जंगल के अंदर गए तो दो व्यक्ति, जिनके नाम आरोपी अनिल पाल ने पिंटू सोनी और लव सिंह के रूप में बताए थे, भागने लगे और घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

54. उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों को भागते हुए देखा और जब उन्होंने अलार्म किया कि वे पुलिस हैं, तो तीनों पीड़ित उनके पास आए और बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया है, जिन्हें मनिका पुलिस स्टेशन लाया गया था जहां उनका बयान एक-एक करके दर्ज किया गया था। इस गवाह ने आरोपी अनिल पाल के इकबालिया बयान को साबित किया है, जिसे दस्तावेज-6 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस गवाह ने कहा है कि इसके बाद, वह चैनपुर लौट आया, पुलिस स्टेशन ने आरोपी अनिल पाल को पुलिस लॉकअप में बंद कर दिया और पीड़ितों को पुलिस एस्कॉर्ट के तहत उनके घरों में भेज दिया।

55. इस गवाह ने कहा है कि आरोपी अनिल पाल के इकबालिया बयान के आधार पर, बोलेरो वाहन नं. घटना में प्रयुक्त जेएच-10बी-1459 को जब्ती सूची तैयार करके गांव-गुआसराय, थाना-पांडु, जिला-पलामू में मोरम रोड पर बलराम साव पिता- भोला साव के घर के सामने पड़ा हुआ जब्त किया गया था। इस गवाह की पहचान होने पर, उक्त जब्ती सूची को दस्तावेज-7 के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसकी प्रति उक्त वाहन के चालक पप्पू

पासवान को दी गई थी, जिसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था, जिसने अपना इकबालिया बयान भी दिया और घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

56. इस गवाह के बयान पर आरोपी पप्पू पासवान के इकबालिया बयान को दस्तावेज -8 के रूप में चिह्नित किया गया। इस गवाह ने बताया है कि आरोपी पप्पू पासवान के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसे जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया था। इस गवाह की पहचान होने पर उक्त जब्ती सूची को दस्तावेज -9 अंकित किया गया था। इस गवाह ने कहा है कि जब्त मोबाइल में सिम नंबर 4294808469, 7677207591, 8969485542 और 7677624116 के सीडीआर के लिए पत्र तकनीकी अनुभाग को भेजा गया था।

57. इस गवाह ने कहा है कि जांच के दौरान, उसने आरोपी पिंटू सोनी को गिरफ्तार किया, जिसने अपना अपराध भी कबूल किया, जिसे छह पृष्ठों में दर्ज किया गया था और इस गवाह की पहचान पर उसे दस्तावेज-10 चिह्नित किया गया था। इस गवाह ने कहा है कि जब्ती सूची तैयार करके आरोपी पिंटू सोनी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था। इस गवाह की पहचान होने पर उक्त जब्ती सूची को दस्तावेज -11 अंकित किया गया था।

58. इस गवाह ने कहा है कि उसने आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की टीआई परेड करवाई। उन्होंने यह भी कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत सभी तीन पीड़ितों के बयान दर्ज करवाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि उक्त मोबाइल नंबरों के सीडीआर उन्हें प्राप्त हुए थे, जो केस डायरी के साथ संलग्न थे। इस गवाह ने कहा है कि उसने जांच करने के बाद मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

59. **पी. डब्ल्यू.9 देवदास भंडारी** एक औपचारिक गवाह है, जिसने प्रभारी अधिकारी के आदेश पर न्यायालय के समक्ष इस मामले की जब्त सामग्री के प्रदर्शन पेश किए। उन्होंने मुंशी सावन कुमार दास की कलम में प्रभारी अधिकारी, चैनपुर पीएस के आदेश को साबित किया और प्रभारी अधिकारी अनूप महतो के हस्ताक्षर किए, जिसे इस गवाह की पहचान पर दस्तावेज-12 के रूप में चिह्नित किया गया था।

60. उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा लाई गई सामग्री के प्रदर्शन में मालखाना नं. एमआर 04 और 05, जो उसे पुलिस स्टेशन द्वारा सील के तहत दिया गया है। सामग्री को एक लिफाफे में सील कर दिया गया था, जिसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोला गया था और दो मोबाइल सेट पाए गए थे। इस गवाह ने कहा है कि ये दो मोबाइल सेट इस मामले की सामग्री हैं, जो आज उसके द्वारा लाए गए हैं, जिन पर पीएस केस नंबर था। एक मोबाइल सेट पर पिंटू सोनी का नाम है, जबकि दूसरे पर पप्पू पासवान का नाम है। दोनों मोबाइल सेटों को सामग्री दस्तावेज-1 और 2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

61. **पी. डब्ल्यू.**10 **बिनोद कुमार** न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने इस मामले में टी.आई. परेड कराई, उन्होंने कहा है कि 21.03.2015 को उन्हें सिविल कोर्ट, पलामू में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा है कि सी.जे.एम पलामू के आदेशानुसार उन्होंने सेंट्रल जेल, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज में आरोपी अनिल पाल और पिंटू कुमार सोनी की टीआई परेड कराई थी। इस गवाह की पहचान होने पर टी.आई.पी. चार्ट को दस्तावेज 13 के रूप में चिह्नित किया गया।

62. उन्होंने कहा है कि उक्त टीआई परेड में किशोर कुमार मेहता और राम कुमार मेहता ने दोनों आरोपियों अनिल पाल और पिंटू कुमार सोनी की पहचान की थी। उन्होंने कहा है कि राम शंकर प्रसाद, सहायक जेलर ने टीआई परेड के गवाह के रूप में टीआईपी चार्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। पहचान करने वाले गवाह किशोर कुमार ने दोनों आरोपियों की पहचान अपहरणकर्ता के रूप में की थी, जो घटना के समय पिस्तौल से लैस थे, जबकि एक अन्य गवाह राम कुमार मेहता ने भी उनकी पहचान पिस्तौल से लैस अपहरणकर्ताओं के रूप में की थी। इस गवाह ने कहा है कि सी.जे.एम पलामू के आदेश पर उसने किशोर कुमार मेहता उर्फ़ किशोर कुमार, सुरजीत कुमार और राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू मेहता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया था। इस गवाह की पहचान होने पर, उपरोक्त नामित गवाहों के बयानों को क्रमशः विस्तार 2/1, 3/3 और 4/2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

मामलों का विश्लेषण:

63. इस मौके पर हम इस अपील में विचार के लिए इस बिंदु का जवाब देना उचित समझते हैं कि क्या तथ्य, इस मामले में, धारा 364-ए आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित

करते हैं और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो क्या धारा 363 आईपीसी के तहत सजा को संशोधित करना न्यायसंगत और उचित होगा।

64. मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, धारा 362, 363, 364 और 364-ए आईपीसी के साथ पठित धारा 361 के प्रावधानों की तुलना की जानी चाहिए। उक्त प्रावधान निम्नानुसार हैं:

> *"**धारा 361। वैध संरक्षकता से अपहरण।** - जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क, यदि कोई पुरुष हो, या अठारह वर्ष से कम आयु का यदि कोई महिला या विक्षिप्त मन का कोई व्यक्ति ऐसे अवयस्क या विक्षिप्त मन के व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक को रखने के लिए ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना ले या प्रलोभन देगा, तो यह कहा जाएगा कि वह ऐसे अवयस्क या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण कर लेगा।*
>
> ***स्पष्टीकरण। --** इस खंड में "वैध अभिभावक" शब्द में ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या हिरासत के साथ विधिपूर्वक सौंपा गया कोई भी व्यक्ति शामिल है।*
>
> ***अपवाद -** यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के कृत्य पर लागू नहीं होती है जो सद्भावपूर्वक स्वयं को किसी नाजायज बालक का पिता मानता है या जो सद्भावपूर्वक स्वयं को ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया न गया हो।*
>
> ***धारा 362. अपहरण-** जो कोई बलपूर्वक या किसी छल से किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए विवश करता है, उसे उस व्यक्ति का अपहरण करने वाला कहा जाता है। धारा 363. अपहरण के लिए सजा। जो कोई भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।*
>
> ***धारा 364. हत्या के लिए अपहरण या अपहरण -** जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार अपहरण या व्यपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति का हत्या की जा सके या*

उसका इस प्रकार निपटान किया जाए कि वह हत्या किए जाने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 364-A - फिरौती के लिए अपहरण, आदि - *जो कोई ऐसे अपहरण या व्यपहरण के पश्चात् किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा या किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखेगा और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करेगा कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी को बाध्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति दी जा सकेगी या उपहति या मृत्यु कारित की जा सकेगी संगठन या कोई अन्य व्यक्ति जो कोई कार्य करता है या फिरौती नहीं देता है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"*

65. भारतीय दंड संहिता की धारा 361 "विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण" से संबंधित है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी भी नाबालिग पुरुष या अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला, या किसी भी विक्षिप्त दिमाग के व्यक्ति को ऐसे नाबालिग या विक्षिप्त दिमाग के व्यक्ति के वैध अभिभावक के पास से लेता है या लुभाता है, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कहा जाता है। इस धारा में "वैध अभिभावक" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या हिरासत के साथ कानूनी रूप से सौंपा गया है।

66. अपहरण" को आईपीसी की धारा 362 के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई बलपूर्वक या किसी भी छल से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, तो उस व्यक्ति का अपहरण करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार, अपहरण के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व किसी भी व्यक्ति को मजबूर करने के लिए बल का उपयोग करना है या किसी भी व्यक्ति को धोखे से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है।

67. जबकि अपहरण सरल तकनीकी रूप से आईपीसी के तहत अपराध नहीं हो सकता है, यह एक दंडनीय अपराध बन जाता है जब इसे किसी अन्य अधिनियम के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, हत्या करने के लिए अपहरण आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध है। तो क्या अपहरण एक अपराध है यदि यह गुप्त रूप से या गलत तरीके से किसी व्यक्ति को कैद करने के इरादे से किया जाता है (धारा 365, आईपीसी), या जब यह किसी महिला को शादी आदि के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है (धारा 366, आईपीसी)।

68. हम ध्यान दें कि धारा 363 आईपीसी अपहरण के कार्य को दंडित करती है और धारा 364 किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए अपहरण या अपहरण के अपराध को दंडनीय बनाती है। धारा 364 ए एक अपराध है जहां अपहरण या अपहरण किया जाता है और किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है या चोट पहुंचाई जाती है; या फिरौती की मांग पर किसी व्यक्ति को जान से मारने या वास्तव में हत्या करने की धमकी दी जाती है।

69. चूंकि, इस मामले में हम धारा 364 ए आईपीसी के तहत कथित अपराध से चिंतित हैं, इसलिए इस समय आईपीसी की धारा 364 ए की कोर और प्रयोज्यता पर विस्तार से चर्चा करना लाभदायक होगा।

70. आईपीसी की धारा 364A को संसद के एक अधिनियम (22 मई, 1993 से प्रभावी 1993 का अधिनियम संख्या 42) द्वारा दंड संहिता, 1860 में डाला गया था। भारत के विधि आयोग ने 1971 में अपनी 42वीं रिपोर्ट में आईपीसी में धारा 364 A को शामिल करने की सिफारिश की थी, हालांकि इसे अंततः वर्ष 1993 में शामिल किया गया था।

71. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विक्रम** सिंह बनाम **भारत संघ (2015) 9 एससीसी 502** के मामले में आईपीसी की धारा 364A के महत्व का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार देखा है:

> *"53. उपरोक्त को मामले में लागू करते हुए, हम पाते हैं कि धारा 364-A आईपीसी लाने की आवश्यकता शुरू में फिरौती के लिए अपहरण और अपहरण की बढ़ती घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई। यह विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से स्पष्ट है जिसका हमने इस निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया है। जब वे*

सिफारिशें सरकार के पास लंबित थीं, आतंकवाद का भूत सिर उठाने लगा जिससे न केवल नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा होने लगा और किसी देश को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाली चीजों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने की मांग की गई। आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय आयाम ग्रहण करने के साथ, कानून में और संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994 में आईपीसी की धारा 364-A में संशोधन हुआ। अपहरण और फिरौती के लिए अपहरण से उत्पन्न चुनौतियों का क्रमिक विकास, न केवल मौद्रिक लाभ के लिए या आर्थिक लाभ के लिए एक संगठित गतिविधि के रूप में, बल्कि आतंकवादी संगठनों द्वारा भी किया जाता है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 364-A को शामिल करना और ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता है।"

72. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 364A आईपीसी केवल सरकार या विदेशी राज्य के खिलाफ आतंकवाद के कृत्यों को कवर नहीं करती है, बल्कि इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां फिरौती की मांग आतंकवादी अधिनियम के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति के लिए मौद्रिक लाभ के लिए की जाती है।

73. दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी होनी चाहिए या अपहरणकर्ता के आचरण से यह उचित आशंका होनी चाहिए कि अपहृत व्यक्ति को सरकार या किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए मृत्यु या चोट पहुंचाई जा सकती है।

74. धारा 364-ए में शामिल पहली अनिवार्य शर्त यह है कि "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करना या भगा ले जाने का कार्य करता है या इस तरह के अपहरण करना या भगा ले जाने के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है। दूसरी स्थिति संयोजन "और" से शुरू होती है।

75. दूसरी शर्त के भी दो भाग हैं अर्थात (क) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या (ख) अपने आचरण से एक उचित आशंका को जन्म देता है कि ऐसे

व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है। उपरोक्त शर्त का कोई भी भाग, यदि पूरा हो जाता है, तो अपराध के लिए दूसरी शर्त को पूरा करेगा।

76. तीसरी शर्त "या" शब्द से शुरू होती है यानी सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या फिरौती देने से रोकने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है।

77. इस प्रकार, धारा 364-ए के तहत एक अपराध को कवर करने के लिए, पहली शर्त की पूर्ति के अलावा, दूसरी शर्त यानी "और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है" को भी साबित करने की आवश्यकता है यदि मामला "या" द्वारा शामिल बाद के खंडों द्वारा कवर नहीं किया गया है। शब्द "और" का उपयोग संयोजन के रूप में किया जाता है। शब्द "या" का उपयोग स्पष्ट रूप से विशिष्ट है और दोनों शब्दों का उपयोग विभिन्न उद्देश्य और वस्तु के लिए किया गया है।

78. धारा 364-ए के वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 364-ए के तहत एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व जो अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैं:

(i) ऐसे अपहरण या व्यपहरण के बाद किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करना या किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना; और

(ii) (ii) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या उपहति कारित करने की धमकी देता है या उसके आचरण से युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दी जा सकती है या चोट पहुंचाई जा सकती है या;

(iii) (iii) ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु कारित करेगा ताकि सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या फिरौती देने से विरत होने के लिए बाध्य किया जा सके।

79. इस प्रकार, पहली शर्त स्थापित करने के बाद, एक और शर्त को पूरा करना होगा क्योंकि पहली शर्त के बाद, शब्द का उपयोग किया जाता है "और"। इस प्रकार, पहली शर्त के अलावा या तो शर्त (ii) या (iii) को साबित करना होगा, जिसमें विफल होने पर धारा 364-A के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

80. तत्काल मामले के तथ्यों का विज्ञापन करने और आक्षेपित निर्णयों का मूल्यांकन करने से पहले, हम आईपीसी की धारा 364 ए की प्रयोज्यता के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए कुछ न्यायिक निर्णयों को भी संदर्भित करना उचित समझते हैं।

81. **लोहित कौशल बनाम हरियाणा राज्य (2009) 17 एससीसी 106** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं

> *"15. ... यह सच है कि धारा 364-एआईपीसी के तहत अपहरण वास्तव में निंदनीय अपराध है और जब एक असहाय बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है और वह भी करीबी रिश्तेदारों द्वारा, तो यह घटना और भी अस्वीकार्य हो जाती है। हालांकि, अपराध की गंभीरता और अदालत के मन में पैदा होने वाली घृणा ऐसे कारक हैं जो ऐसे मामलों में अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के खिलाफ भी होते हैं। इसलिए, एक अदालत को सबूतों का मूल्यांकन करते समय निष्पक्षता और न्यायिक विचारों के बजाय भावनाओं से प्रभावित होने की संभावना के खिलाफ रक्षा करनी चाहिए।"*

82. **अनिल बनाम दमन और दीव प्रशासन (2006) 13 एससीसी 36** में रिपोर्ट किए गए, दमन की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 364 और 364-ए के तहत अपराध करने के लिए सामग्री के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से लिए जा सकने वाले प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं

> *"55. धारा 364 और 364-ए के तहत अपराध करने के लिए सामग्री अलग-अलग हैं। जबकि अपहरण करने का इरादा इसलिए कि उसकी हत्या की जा सकती है या उसे इस तरह से निपटाया जा सकता है कि उसे खतरे में डाल दिया जाए क्योंकि हत्या दंड संहिता की धारा 364 की आवश्यकताओं को पूरा करती है, धारा 364-ए के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल ऐसा अपहरण या दुष्प्रेरण हुआ है, बल्कि उसके बाद अभियुक्त ने मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी दी है ऐसे व्यक्ति को या उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार*

या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या फिरौती देने के लिए बाध्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या क्षति या क्षति या मृत्यु कारित की जा सकती है।"

83. **विश्वनाथ गुप्त बनाम उत्तरांचल राज्य (2007) 11 एससीसी 633** में दी गई सूचना के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी

*"**8**. धारा 364-ए के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है और उसे हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है और अपने आचरण से एक उचित आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, और फिरौती का दावा करता है और यदि मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में अभियुक्त को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है और साथ ही जुर्माना अदा करें।*

***9**. धारा 364-ए का महत्वपूर्ण घटक अपहरण या अपहरण है, जैसा भी मामला हो। इसके बाद, अपहरण/अपहृत व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि यदि फिरौती की मांग पूरी नहीं की जाती है तो पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और यदि मृत्यु हो जाती है, तो धारा 364-ए का अपराध पूरा हो जाता है। इस धारा में तीन चरण हैं, एक अपहरण या अपहरण है, दूसरा है पैसे की मांग के साथ मौत की धमकी और अंत में जब मांग पूरी नहीं होती है, तो मौत का कारण बनता है। यदि तीन तत्व उपलब्ध हैं, तो यह दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत अपराध का गठन करेगा। तीनों सामग्रियों में से कोई भी एक स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर हो सकता है।"*

84. **विक्रम सिंह बनाम भारत संघ (सुप्रा)** के मामले में, यह निम्नानुसार देखा गया था

"25. ... धारा 364-AIPC के तीन अलग-अलग घटक हैं: (i) संबंधित व्यक्ति अपहरण या अपहरण के बाद पीड़ित का अपहरण या हिरासत में रखता है; (ii) मृत्यु कारित करने या क्षति कारित करने की धमकी देता है या मृत्यु की आशंका कारित करता है या क्षति पहुंचाता है या वास्तव में क्षति पहुँचाता है या मृत्यु कारित करता है; और (iii) अपहरण, अपहरण या हिरासत और मौत या चोट की धमकी, ऐसी मौत या चोट या वास्तविक मौत या चोट के लिए आशंका संबंधित

व्यक्ति या किसी और को कुछ करने या कुछ करने से रोकने या फिरौती का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के कारण होती है। हमारी राय में, ये सामग्रियां आईपीसी की धारा 383 के तहत जबरन वसूली के अपराध से अलग हैं। मौजूदा कानूनी ढांचे में कमी को विधि आयोग द्वारा देखा गया था और धारा 364-ए आईपीसी के रूप में एक अलग प्रावधान शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था ताकि ऊपर उल्लिखित सामग्री को मूर्त रूप देते हुए फिरौती की स्थितियों को कवर किया जा सके।"

85. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे, न्यायालय के समक्ष जो आवश्यक सामग्री साबित करनी चाहिए, वह न केवल अपहरण या अपहरण का कार्य है, बल्कि उसके बाद फिरौती की मांग, अपहरण या अपहरण किए गए व्यक्ति के जीवन के लिए खतरे के साथ मिलकर होनी चाहिए। इस संबंध में आगे का संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रवि ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य, (2023) 6 एससीसी 76** के मामले में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है।

86. इसके अलावा, यह न्यायालय दोषसिद्धि के सिद्धांत को संदर्भित करना उचित और उपयुक्त समझता है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित करना है।

87. कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है कि जीवन की स्वतंत्रता छीनने वाले व्यक्ति की कोई सजा नहीं हो सकती है यदि अभियोजन पक्ष संदेह की सभी छाया से परे आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रंग बहादुर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2000) 3 एससीसी 454** के मामले में आयोजित किया है। जिसमें पैराग्राफ 22 में यह आयोजित किया गया है जो इसके तहत पढ़ता है: -

"22. इस मामले में अपीलकर्ताओं की जटिलता के बारे में न्यायालय जिस संदेह की मात्रा पर विचार करेगा, वह उचित संदेह के स्तर से कहीं अधिक है। हम जानते हैं कि इस प्रकृति के मामले में आरोपी को बरी करना सभी संबंधितों के लिए संतुष्टि का विषय नहीं है। साथ ही, हम अपने आप को समय-परीक्षणित नियम की याद दिलाते हैं कि दोषी व्यक्ति को बरी करने को एक निर्दोष व्यक्ति की सजा

के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं करता है, तब तक अभियुक्त को दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती है। एक आपराधिक अदालत अपीलकर्ताओं की स्वतंत्रता, आजीवन स्वतंत्रता से वंचित करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, कम से कम उचित स्तर की निश्चितता के बिना कि अपीलकर्ता असली अपराधी थे। हम वास्तव में अपराध में अपीलकर्ताओं की भागीदारी के बारे में संदेह का मनोरंजन करते हैं।"

88. इसके अलावा, **शीला सेबस्टियन बनाम आर जवाहराज और एन.आर. (2018) 7 एससीसी 581** के मामले में रिपोर्ट किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 28 में आयोजित किया है जो इसके तहत पढ़ता है: -

"28. -----. एक आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक उचित संदेह से परे सबूत है क्योंकि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संभावना की प्रधानता के मानक से कभी नहीं छीना जा सकता है।"

89. पूर्वोक्त कानूनी अनुपात और तार्किक कटौती की पृष्ठभूमि में, अब हम तत्काल मामले के तथ्य के लिए उपरोक्त अनुपात की प्रयोज्यता पर विचार करेंगे और अपीलकर्ताओं के तर्क से निपटेंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

90. इस मामले में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि फिरौती की कोई मांग नहीं की गई थी, बल्कि पीड़ित ने खुद अपनी पत्नी को अपने मोबाइल से फिरौती की मांग के बारे में कहा है और पीड़ितों को छोड़कर किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि फिरौती की मांग की गई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 364 ए का कोई घटक नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक मामला आईपीसी की धारा 363 का बनता है आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि टीआईपी अत्यधिक देरी के बाद आयोजित की गई है और ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी व्यक्तियों को टीआईपी पर रखने से पहले गवाहों को दिखाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

91. जबकि दूसरी ओर, एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि पीड़ितों, जिनकी जांच पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 के रूप में की गई है, ने अभियोजन पक्ष के बयांन का पूरी तरह से समर्थन किया है और विशेष रूप से गवाही दी है कि अपीलकर्ता-अनिल पाल और पिंटू सोनी ने पीछे से उनके सिर पर पिस्तौल दबाया और उन्हें जबरन बोलेरो वाहन पर बैठाया और उन्हें जंगल

में ले गए और परिवार के सदस्यों से 15 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। इन पीड़ितों के संस्करण को पी.डब्ल्यू 6 द्वारा समर्थित किया गया है। जिनके मोबाइल पर फिरौती मांगी गई थी।

92. इसके अलावा, स्वीकारोक्ति अपीलकर्ता अनिल पाल पर, बोलेरो वाहन, जिसका उपयोग अपराध करने में किया गया था, बरामद किया गया था, जिसे अपीलकर्ता-पप्पू पासवान द्वारा चलाया गया था, जिसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। जहां तक टीआईपी आयोजित करने में देरी का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं की रिमांड के बाद, जांच के दौरान, आरोपी व्यक्तियों को टीआईपी पर रखा गया था, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि टीआईपी आयोजित करने में देरी हुई थी।

93. यह न्यायालय, गवाहों की गवाही की तुलना में पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क की पृष्ठभूमि में, अब अपीलकर्ताओं के मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है ताकि इस तर्क की सराहना की जा सके कि धारा 364A का घटक आकर्षित किया जा रहा है या नहीं।

<u>अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही का विश्लेषण:</u>

94. पीड़ितों, जिनकी जांच पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 के रूप में की गई है, ने अपहरण के संस्करण और अपहरण के उद्देश्य का समर्थन किया है जो फिरौती के उद्देश्य से है और यह भी कहा है कि धमकी दी गई थी कि अगर फिरौती का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो उन्हें मार दिया जाएगा।

95. **पी. डब्ल्यू. 3**, किशोर कुमार मेहता उर्फ़ किशोर कुमार, पीड़ितों में से एक, ने अपने बयान के पैराग्राफ 1 में गवाही दी है कि जब वे चंदनपुर से लौट रहे थे और थमावा घाटी में पहुंचे थे तो एक बोलेरो वाहन ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उक्त बोलेरो वाहन से 4-5 व्यक्ति उतरे। उन्होंने आगे गवाही दी है कि आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी ने पीछे से उनके सिर पर पिस्तौल दबाया और उन्हें जबरन बोलेरो वाहन पर बैठाकर जंगल में ले गए। उन्होंने आगे गवाही दी है कि उन्होंने इस गवाह से पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को फोन करने के लिए कहा और वे उनकी रिहाई के लिए 15,00,000 रुपये की फिरौती मांग रहे थे। इस गवाह ने कहा है कि उन्होंने उसे अपनी पत्नी से बात करवाई और उससे कहा कि वह अपनी पत्नी से

15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहे और मामले को पुलिस को सूचित न करे।

96. इस गवाह ने अपनी गवाही के पैराग्राफ 3 और 4 में गवाही दी है कि उसने आरोपी व्यक्तियों की पहचान की और उनके बीच चल रही बातचीत से पिंटू सोनी, अनिल पाल, भोला सिंह, लव सिंह और पारस सिंह के रूप में उनके नाम जान सकते हैं। इस गवाह ने टीआईपी के दौरान आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान की और अदालत की कटघरे में भी। आरोपी पप्पू पासवान को देखते हुए उसने कहा कि वह उसे नहीं जानता।

97. तैयार संदर्भ के लिए, बयान के पैराग्राफ 1, 3 और 4 के रूप में नीचे उद्धृत किया गया है:

*1. घटना दिनांक। 13-2-15 के 7:00 बजे शाम की है। हम लोग चंदनपुर से लौट रहे थे। जब हम लोग थमवा घाटी। थाना चैनपुर के पास अपनी कार से पहुंचे। मेरे साथ मेरा चचेरा भाई सुजीत कुमार। एवं साला राम कुमार मेहता उर्फ लड्डू मेहता भी था। उसी वक्त पीछे से आती हुई बोलेरो गाड़ी हमलों को ओवरटेक करके हमारी गाड़ी के आगे तिरछा करके खड़ा कर दिया। जिससे हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। इसके बाद उक्त बोलेरो गाड़ी से चार पांच व्यक्ति उतरे और हमारी गाड़ी का गेट खुलवाकर मेरा भाई सुजीत को गाड़ी से उतार कर। दो तीन थप्पड़ मारे। इसके बाद हम लोग गाड़ी से उतर गए और उनसे पूछा कि क्यों मारपीट कर रहे हैं? इसी बीच अनिल पाल और पिंटू सोनी। मेरे और मेरे साले केसर के पीछे पिस्टल सटा दिया और जबरदस्ती हम तीनों को अपनी बोलेरो गाड़ी में बिठा लिए। इसके बाद हम लोगों को लेकर उसके दो तीन घंटा गाड़ी चलाने के बाद। एक ***** सड़क पर ले जाकर उतार दिए और हम लोगों को जंगल में ले गए। और हम लोगो को बोले की आप लोगों का अपहरण कर लिया गया है। अभियुक्त लोग, हम लोगों को रातभर जंगल में पेड़ के नीचे रखा। और दूसरे दिन सुबह। मैं हमे कहा की अपने घर से फ़ोन कर के पैसे का इंतजाम करो। वे लोग हम लोगों को छोड़ने के लिए ₹15,00,000 की मांग कर रहे थे। उन लोगों ने मेरी पत्नी से बात करवाया और हमका। हमें धमकी दिया कि अपनी पत्नी को बोलो की ₹15,00,000 का इंतजाम करे। आर थाना पर उसका खबर नहीं करें। हमारे घरवालों ने किसी तरह। 4,00,000*

का इंतजाम किया और उन्हें खबर किया इस पर। अपहरणकर्ता बोले कि इससे कुछ नहीं होगा। और जान मारने की धमकी भी दिया। अभियुक्तगण बार बार हमारे परिवार के लोगों से पैसा मांग रहे। मांग करते रहे। पैसों की मांग अभियुक्तों ने जबरदस्ती मुझसे करवातें थे। उस दिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पायी तो दूसरे दिन दिनांक 15 फरवरी 2015 को जब अभियुक्तगण। मेरे परिवार वालों से पैसे की मांग कर रहे थे, उसी समय हमने अभियुक्तों को पहचाना और उनका आपसी बातचीत से मैं अभियुक्त पिंटू सोनी, अनिल पाल, भोला सिंह, लव सिंह। पारस सिंह का नाम जानें। उनकी बाजति जिससे मुझे सारे अभियुक्तों के नाम का ज्ञान हुआ। घटना के तीसरे दिन 4:00 बजे शाम के आसपास अभियुक्तगण हमें बोले कि पार्टी वाले सब आ रहे हैं। भागो जल्दी नहीं तो जान मार देंगे। इसके बाद हम लोग भागने लगे और पुलिस वालों के आवाज पर पुलिस वालों ने पास भाग कर चले गए। उसके बाद पुलिस हम लेकर मेनका थाना आई। इसके बाद पुलिस ने हमें अपने- अपने घर पहुंचाया था।

2. *इस वाद में मैंने अभियुक्तों के पहचान परेड में भाग लिया और पहचान परेड में अभियुक्त अनिल पाल और बिंटू सोनी को पहचाने थे। इस वाद मैं, मेरे साले ने भी पहचान परेड में भाग लिया था। उन्होंने भी दोनों अभियुक्तों को पहचाना था*

3. *साक्षी न्यायालय बच के कठघरे में खड़े अभियुक्त अनिल पाल और पिंटू सोनी को देखकर पहचानते हैं और तीसरे अभियुक्त पप्पू पासवान को देखकर कहते हैं कि मैं इसे नहीं पहचानता हूँ।*

98. **पी. डब्ल्यू.4 सुरजीत कुमार,** एक अन्य पीड़ित, ने भी उसी लाइन पर कहा है जैसा कि पी. डब्ल्यू.3 द्वारा कहा गया है। अपने बयान के पैराग्राफ 2 में इस गवाह ने कहा है कि जब उन्हें जंगल में रखा गया था तो बदमाश एक-दूसरे के साथ अनिल पाल, पिंटू सोनी, भोला सिंह, पारस सिंह, बबलू सिंह, लव सिंह, पिंटू सिंह आदि के नाम पुकारकर बात कर रहे थे और उन्होंने अपना चेहरा खुला रखा था।

99. तैयार संदर्भ के लिए, पैराग्राफ 2, 3 और 4 और 5 में गवाही के प्रासंगिक भाग के रूप में नीचे उद्धृत कर रहे हैं:-

1. जब हम थमवा घाटी के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज गति आकार बोलेरो गाड़ी ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक कर हमारी गाड़ी को रोक दिया। उस गाड़ी से छे सात लड़के उतरे और हमारी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। उन लोगों ने हमारे कार का दरवाजा खोल दिया। खींचकर मुझे पहले उतारा और मेरे साथ मारपीट करने लगा। आर थप्पड़ से मारने लगे। और बोले कि हमारे गाड़ी बोलेरो में बैठो। इसके बाद। मैं। हमारे चचेरे भाई किशोर कुमार मेहता ओर उसके साला लड्डू कुमार मेहता को गाड़ी से उतार हम तीनों को गाड़ी के बीच वाले सीट पर बिठाकर हमारा सर झुकवादियाँ और बोला की बाहर नहीं देखना है। गाड़ी के पीछे तरफ दो लड़के पिस्टल लेकर बैठे थे। और हम लोगों के दोनों ओर एक एक आदमी बैठा था। उसके बाद दो 3 घंटे तक गाड़ी चलाकर जंगल में कच्ची रास्ते पर रोका और हम लोगों को उतारकर हमें पैदल एक तालाब के पास ले गए और सभी अलग अलग कर पूछताछ करने लगे।

2. हम लोगों को रातभर जंगल में रखा। दूसरे दिन करीब 8:00 बजे सुबह। मेरे भाई किशोर को उन लोगों ने कहा कि फ़ोन से बात करके बताओ। की तुम लोगों का अपहरण हो गया है और फिरौती के रूप में। ₹15,00,000 घर से मंगवाओ नहीं तो तुम तीनों को जान से मार देंगे उसके बाद मेरे भाई। की बात अपराधकर्मियों ने घर से करवाई। अपराधियों ने अपने मोबाइल फ़ोन से घरवालों से बातचीत करवाई। और पैसों की मांग करवाई थी। उनके द्वारा यह भी धमकी दिया गया था कि पुलिस को सूचना नहीं देना नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उस दिन दो तीन बार धमकी देकर घर वालों से बात कराई गई और पैसों की मांग की। शाम तक पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब उसके बाद अपराधियों द्वारा धमकी दिया गया की अगर सुबह तक पैसा नहीं मंगवाया तो तुम लोगों को मारकर फेंक दिया जायेगा। दूसरे दिन शनिवार का दिन था दिनांक 14/2/15 को हम लोगों ने उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए और कहा कि बैंक हाफ डे रहता है। इसीलिए हम लोगों को समय दिया जाए। उन लोगों ने पुनः शाम तक का समय दिया। ओर दबाव देकर घर से जल्दी से पैसा मंगवाने के लिए धमकी देते रहे। उस दिन हम लोगों को खाना खिलाया गया था। वे लोग एक दूसरे से नाम लेकर बोलते थे। जिसमें से एक अनिल पाल, पिंटू सोनी। भोला सिंह, पारस सिंह, बबलू सिंह, लव सिंह। पिंटू सिंह।

इत्यादि से एक दूसरे को संबोधित करते थे। उन लोगों ने अपने चेहरे भी खुले रखा हुए थे।

3. शनिवार को पैसा नहीं आने के बाद शाम में उन लोगों ने धमकी दिया कि जैसे भी हो कल सुबह तक पैसा मंगवाओ नहीं तो मार दिया जाएगा। उन लोगों ने रातभर जंगल में रखा। तीसरे दिन रविवार को उन्होंने मेरी भाई की बात पुनः घरवालों से करवाई और पैसे की मांग की। दिन भर बात का सिलसिला चलता रहा लगभग 3:00 बजे दिन में दिनांक 15/2/15 को अपराधकर्मियों ने कहा की। पार्टी वाले आ रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को भी मार देंगे। हम सभी उनके साथ भागने लगे। हमें आवाज मेरी कि हम पुलिसवाले हैं। यह सुनकर। हम लोग रुके और पुलिस वालों के तरफ भागे। पुलिसवालों ने हम लोगों को रोककर पूछताछ किया और उसके बाद पहने मनिका थाना ले गए। जिसके मनिका थाना से चैनपुर थाना लाया गया। चैनपुर थाना में हम से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद हम लोगों को घर पर छोड़ दिया गया।

4. पुलिस के द्वारा। हमारा व्यान न्यायालय में भी कराया गया। न्यायालय में हमने भी बयान दिया है। हमने जो न्यायालय में जो बयान दिया उसपर हम दस्तखत किया है। यही वह हमारा बयान है जो न्यायालय में दिया गया था। इस पे हमारा हस्ताक्षर हैं हमारे बयान के हर एक पेज पे हमारा हस्ताक्षर है। हम अपना हस्ताक्षर पहचानते हैं। हमारे बयान तीन पन्नों में है। सभी पन्नों पर हमारा हस्ताक्षर है। हम इसे पहचानते हैं। इसे क्रमसः तीन/एक एवं तीन/ दो अंकित किया जाता है। गवाह कटघरे में खड़े अभियुक्त अनिल पाल पिंटू कुमार सोनी को नाम और चेहरे से पहचानते हैं। एक अभियुक्त पप्पू कुमार पासवान को चेहरे से पहचानते हैं।

5. मेरे घर चंदनपुर से अंबिकापुर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग चंदनपुर से रामानुज गंज 15- 20 मैं पहुंचते थे। चंदनपुर, अंबिकापुर और रामानुजगंज के बीच में है। रामानुजगंज से जहाँ पर हमलोंगो को पकड़ा गया था, वहाँ से रामानुजगंज कितनी दूर है, मैं नहीं कह सकता हूँ। अपराधकर्मी छह सात की संख्या में थे। मैं अभियुक्तों को पहले से नहीं जानता था। घटना के दिन उसके बाद हम आज कोर्ट में ही देख रहे हैं। जिस समय हमें बेलेरो गाड़ी से बैठाया गया। उस समय शाम हो गयी थी। जंगल में भी पहुंचते पहुंचते रात हो गयी थी। जंगल

में हमें कहाँ उतारा था, उस जगह का नाम हम नहीं बता सकते हैं। अभियुक्तों ने अपनी मोबाइल फ़ोन? हमारा सिम कार्ड लगाकर। अपने मोबाइल से बात कराई थी हमारे सिम का नंबर। 9504699565 है। यह सीम कार्ड मुकेश कुमार के नाम से था। जो मेरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में ब्रांच पोस्टमास्टर है? यह सिम कार्ड दुमका से इश्यू हुआ था।

100. पी. डब्ल्यू.5 राम कुमार मेहता उर्फ़ लड्डू तीसरा पीड़ित है, जिसने भी यही अभियोजन कहानी सुनाई है। इस गवाह ने टीआई परेड में भाग लेने और उसमें आरोपी अनिल पाल और पिंटू सोनी की पहचान करने की बात कही है। उन्होंने तीनों आरोपियों की पहचान उनके नाम और चेहरे से की। गवाही का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

1. *घटना दिनांक 13/2/15 की है। शाम करीब 7:00 बजे की है। मेरे बहनोई किशोर मेहता, उनके चचेरे भाई सुजीत कुमार मेहता। उनकी बहन नीरा कुमारी और बेटी चंदनपुर से अपनी कार से डाल्टनगंज वापस आ रहे थे। हम लोगों नीरा कुमारी को रामानुजगंज में उनके घर पर छोड़ दिए। उसके बाद हम तीनों लोग अपनी कार से रंका होते हुए करसो वाली रोड से हम लोग डाल्टनगंज वापस आ रहे थे। करसो से आगे जब आये तो एक बोलेरो मेरी गाडी को थम्व्वा जंगल के पास ओवरटेक किया। मेरे बहनोई किशोर कुमार उस बोलेरो को साइड दे दिए। कुछ ही दूर जाकर उक्त बोलेरो रोड पर तिरछा खड़ा कर दिया। हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो मेरे बहनोई गाड़ी को रोक दिए। छे सात आदमी अपने अपने हाथ में पिस्टल लेकर मेरी गाड़ी के चारों ओर से घेर लिया। घेरने के बाद सुजीत को जबरन उतारा और उसको थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उस पर मैं उतरा और बोला कि भाई साहब क्यों मार रहे हैं? तो उसी में से दो आदमी हमारे ऊपर पिस्टल सटा दिया। और बोला कि बोलेरो में चुपचाप बैठो नहीं तो गोली मार देंगे। उस पर हमलोग तीनों डर से बोलेरो के बिचला सीट पर बैठ गए। और उन लोग हम लोगो के बगल में बैठ गया और मेरे माथा पर पिस्टल रखकर बोला की सर को नीचे करो। तो हम लोग डर से तीनों आदमी, सर नीचे कर लिए। बेलेरो दो या तीन घंटा चला, हम लोगों को पता नहीं चला कि वे हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। इसके बाद जंगल में ले जाकर हमलोगों को बोलेरो से उतारा और हम लोग। को उतारकर मेरा हाथ पीछे*

कर बांध दिया और जंगल में तालाब में बांध के ऊपर ले गए। और हम लोगों को बारी बारी से इधर उधर ले जाकर नाम पता पूछने लगा। उसके बाद हम लोगों के पास जो भी पैसा मोबाइल था, लूट लिया और बोला कि तुम लोगों को जान से मार देंगे। तो हम लोग रोने लगे और बोले की हम लोग कोई गलती नहीं किया है, आप लोग मत मारिये। इस पर वे लोग। ठीक है ठीक है तुम लोगो को नहीं मारेगे। तुम लोग ₹15,00,000, अगर तीनों आदमी दिलवाओगे तो नहीं मारेंगे? इस पर हम लोग बोले कि ₹15,00,000 रुपया दिलवाएंगे?

2. वे तालाब से और दूर जंगल में ले जाकर हमलोगों को रखा। और आपस में वे लोग अपना नाम पिंटू सोनी, अनिल पाल, भोला सिंह, पिंटू सिंह, पारस सिंह, लव सिंह बोलता था। हम लोगों को रात भर। रखने के बाद दिनाँक 14/2/15 को सुबह करीब आठ या 9:00 बजे के आसपास पिंटू सिंह और भोला सिंह हमारे बहनोई किशोर कुमार मेहता से बोले की अपने मोबाइल से मेरी बहन से बात करवाएं और बुलवाए की बोली हम लोगों का अपहरण हो चुका है। अगर ₹15,00,000 तुम लोग व्यवस्था करवा करके लाओगे तो हम लोगों का जान बचेगा अन्यथा जान से मार देंगे। इस पर मेरी बहन बोली के व्यवस्था करवा के देंगे। लेकिन जान से मत मारिएगा। इस पर अपराधकर्मी लोग बोला की ठीक है लाओ। उस दिन मोबाइल से कई बार बात हुई। दिनांक 15/2/15 को जब बात हुई तो हमारी ने कहा कि ₹10,00,000 का व्यवस्था हुआ है। इस पर पिंटू सोनी और भोला सिंह बोले कि जब तक 15,00,000 नहीं लाओगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। पुनः दिनांक। 15/2/15 को जब पुलिस नजदीक आया तो पिंटू सोनी और उसके साथ जीतने भी आदमी थे। दिन के 3:00 बजे के आसपास वे लोग बोला कि उग्रवादी आ गया है। इस पर पिंटू उसने हमारे सर पिस्टल सटाकर दौड़ाने लगा। तीनों आदमी को। कुछ ही दूर जाने के बाद जब पुलिस ने हल्ला किया कि हमलोग पुलिस वाले है तो हम लोग पुलिस के पास चले गए और पुलिस हम लोगों को अपनी गाड़ी से मनिका थाना ले गयी और पूछताछ किए और उसके बाद चैनपुर थाना। हम लोगों को लाया गया और पूछताछ कर अपने घर वापस छोड़ दिया गया।

3. पिंटू सोनी, अनिल पाल और पप्पू पासवान को चेहरे से हम पहचानते हैं। पुलिस ने न्यायालय में धारा 164 दो प्रसंग। के अंतर्गत हमारा बयान करवाया था। हमने

धारा 164। द0प्र0स0 क अंतर्गत बयान पर हस्ताक्षर किया था या नहीं याद नहीं है। कहते है की। हमने अपने धारा 164 वाले पर हस्ताक्षर किया था। यही वो धारा 164 द0प्र0स0 प्रस्ताव के अंतर्गत बयान है। जिसके दो पेज तक मेरा हस्ताक्षर है। मैं अपना हस्ताक्षर पहचानता हूँ। इसमें क्रमस: ब्प्रदर्स चार एवं 4/1 अंकित किया जाता है।

101. **पी. डब्ल्यू.6, लीलावती देवी, पत्नी पी. डब्ल्यू.3**, जिसके मोबाइल पर फिरौती की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी कि फिरौती न देने पर पीड़ितों को मार दिया जाएगा। इस गवाह ने कहा है कि पीड़ितों ने अपहरणकर्ताओं के रूप में पिंटू सोनी, अनिल पाल, लव सिंह और भोला सिंह के नाम बताए थे।

102. **पी. डब्ल्यू. 2, जनेश्वर महतो** मामले का मुखबिर है, जिसने अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि की है और कहा है कि लगभग 3.00 बजे नरेंद्र को 15,00,000/- रुपये की व्यवस्था करने के लिए एक फोन कॉल किया गया था और इसी तरह की कॉल छोटू बाबू को भी की गई थी। इस गवाह ने कहा है कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं से समय मांगा, लेकिन शाम 5.00 बजे के बाद अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई फोन नहीं आया और फिर उन्होंने लिखित रिपोर्ट दर्ज करके चैनपुर पुलिस को सूचित किया, जिसे बबलू ने लिखा था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया।

103. **संजय कुमार मालवीय** मामले के जांच अधिकारी हैं। इस गवाह ने बताया है कि उसने बताया कि एसपी पलामू के तकनीकी अनुभाग ने मोबाइल के माध्यम से मोबाइल फोन नंबर 9504699565 के टॉवर स्थान का पता लगाने के लिए, जिसका उल्लेख एफआईआर में किया गया था, जहां से उक्त मोबाइल का स्थान लातेहार में मनिका बताया गया था। उसने कहा है कि गोपनीय सूचना के आधार पर उसने आरोपी अनिल पाल को उसके गांव-बाड़ी स्थित ससुराल से पीछा करने पर गिरफ्तार किया, जिसने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके साथियों भोला सिंह, पिंटू सोनी, लव सिंह, पिंटू सिंह, पारस सिंह आदि का नाम लिया। इस गवाह ने कहा है कि आरोपी अनिल पाल के इशारे पर वह उक्त आरोपी और प्रभारी अधिकारी मनिका थाना के साथ केरी महुआ वन गया और जब वे जंगल के अंदर गए तो दो व्यक्ति जिनके नाम आरोपी अनिल पाल ने पिंटू सोनी और लव सिंह के रूप में बताए थे, लेकिन पुलिस पार्टी को देखकर वे भागने लगे और घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

104. **पी. डब्ल्यू.9 देवदास भंडारी** एक औपचारिक गवाह है। एक मोबाइल सेट पर पिंटू सोनी का नाम है, जबकि दूसरा पप्पू पासवान के नाम पर है। दोनों मोबाइल सेटों को सामग्री दस्तावेज के रूप में चिह्नित किया गया था। I और II.

105. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भी आईपीसी की धारा 34 की गैर-प्रयोज्यता का आधार लिया है, लेकिन हमारा विचार है कि धारा 34 की गैर-प्रयोज्यता का प्रश्न केवल तभी आएगा जब अपराध करने का कोई सामान्य इरादा न हो, भले ही संबंधित आरोपी व्यक्ति की कोई सक्रिय भागीदारी न हो, बल्कि सामान्य इरादा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना है।

106. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 34 के साथ आईपीसी की धारा 364 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया है। इस परिदृश्य में यह अदालत सामान्य इरादे के बिंदु पर रिकॉर्ड पर साक्ष्य में जाने से पहले और इस संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों को संबोधित करने से पहले उचित समझती है, जैसा कि पार्टियों द्वारा किया गया है, हम धारा 34 भारतीय दंड संहिता की सटीक प्रकृति, उद्देश्य और दायरे को दोहराना चाहते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी व्यक्तियों के बीच कथित अपराध को सुविधाजनक बनाने का कोई सामान्य इरादा था।

107. आईपीसी की धारा 34 को इस तथ्य के अलावा लागू करने के लिए कि दो या अधिक अभियुक्त होने चाहिए, दो कारकों को स्थापित किया जाना चाहिए: (i) सामान्य इरादा और (ii) अपराध के आयोग में अभियुक्त की भागीदारी। यदि एक सामान्य इरादा साबित हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अभियुक्त के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया जाता है, तो धारा 34 को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से प्रत्यारोध दायित्व शामिल है, लेकिन यदि अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित हो जाती है और एक सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता है।

108. हर मामले में, एक सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है। एक सामान्य इरादे के अस्तित्व का अनुमान मामले की उपस्थित परिस्थितियों और पार्टियों के आचरण से लगाया जा सकता है। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बेंगई**

मंडल बनाम बिहार राज्य (2010) 2 एससीसी 91 के मामले में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ 13 में यह माना गया है:

"13. इस प्रकार, आईपीसी की धारा 34 के संबंध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्य इरादे का अस्तित्व तथ्य का सवाल है। चूंकि इरादा मन की एक अवस्था है, इसलिए सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना या प्राप्त करना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में अदालतों को अभियुक्त के कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगाना पड़ता है। हालांकि, सामान्य इरादे के रूप में एक निष्कर्ष आसानी से नहीं निकाला जाएगा; आपराधिक दायित्व तभी उत्पन्न हो सकता है जब इस तरह के निष्कर्ष को कुछ हद तक आश्वासन के साथ तैयार किया जा सकता है।"

109. इसके अलावा **गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 3 एससीसी 793],**के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पैरा 9 में देखी गई धारा 34 आईपीसी के उद्देश्य और प्रकृति को सामने लाते हुए, निम्नानुसार है: -

"9. धारा 34 को आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई वास्तविक अपराध नहीं बनाती है। अनुभाग की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कार्य उन व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं। सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन की योजना या बैठक थी, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व व्यवस्थित हो या पल की प्रेरणा पर; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के आयोग से पहले होना चाहिए। धारा की सही अवधारणा

*यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। जैसा कि **अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य [(1977) 1 एससीसी 746** में देखा गया है।] अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य इरादे का अस्तित्व इस धारा के आवेदन के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोप में कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान होने चाहिए। अधिनियम चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक और एक ही सामान्य इरादे से सक्रिय होना चाहिए।"*

110. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 34 की प्रयोज्यता के बारे में निष्कर्ष मामले के सिद्ध तथ्यों और साबित परिस्थितियों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से निकाला जाना है।

111. सामान्य इरादे के आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन की योजना या बैठक थी कि वे अपराध करने के लिए जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व व्यवस्थित हो या पल की प्रेरणा पर; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के आयोग से पहले होना चाहिए। वास्तव में किया गया आपराधिक कृत्य निश्चित रूप से ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा, लेकिन इसे एकमात्र कारक नहीं माना जाना चाहिए।

112. यह आगे कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि धारा 34 आईपीसी की सहायता से एक अभियुक्त को फंसाने के लिए, यह ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए कि उसने सामान्य इरादा साझा किया था और उस समय जब अंतिम कार्य पूरा किया गया था, वह वहां था, वास्तविक स्थान पर नहीं हो सकता है।

113. **सुरेन्द्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2000) 4 एससीसी 110** में रिपोर्ट किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अपराध को सुविधाजनक बनाने या बढ़ावा देने का उद्देश्य, जिसका कमीशन संयुक्त आपराधिक उद्यम का उद्देश्य है।

114. इसके अलावा, धारा 34 आईपीसी की प्रयोज्यता पर कानून को **श्रीकांतैया रमैया मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य 1954 ऑनलाइन एससी 42** में चित्रित किया गया था। (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं -

> *"23..... गलत दिशा का सार जूरी को उनके निर्देश में शामिल है कि भले ही कोई व्यक्ति "अपराध वास्तव में किए जाने पर उपस्थित न हो" और यहां तक कि अगर वह "स्क्रीन के पीछे" रहता है, तो उसे धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते यह साबित हो जाए कि अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया गया था। यह गलत है, क्योंकि यह धारा का सार है कि व्यक्ति को अपराध के वास्तविक कमीशन पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। उसे वास्तविक कमरे में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है; उदाहरण के लिए, वह अपने साथियों को खतरे के किसी भी दृष्टिकोण के बारे में चेतावनी देने के लिए तैयार बाहर एक गेट से गार्ड खड़ा कर सकता है या पास की सड़क पर एक कार में इंतजार कर सकता है जो उनके भागने की सुविधा के लिए तैयार है, लेकिन उसे घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए और वास्तव में अपराध के कमीशन में भाग लेना चाहिए किसी तरह या अन्य उस समय जब अपराध वास्तव में किया जा रहा हो।"*

115. इसमें तत्काल मामले में और अभियोजन के मामले के अनुसार जहां तक अपीलकर्ताओं-अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी की आपराधिकता का संबंध है, धारा 34 की सहायता लेने के आधार पर धारा 3, 4, 5, 6 की गवाही पर आधारित होना आवश्यक नहीं है, राष्ट्रीय अपराध सं 7 और 8 में कथित अपराध करने में इन दोनों अपीलकर्ताओं की प्रत्यक्ष संलिप्तता का बहुत विशिष्ट खुलासा किया गया है।

116. इसलिए, धारा 34 के घटक को लागू करने या आकर्षित करने का प्रश्न मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी सारहीन है, जहां तक अपीलकर्ताओं-अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी की सजा का संबंध है, क्योंकि गवाहों की गवाही के अनुसार फिरौती की मांग के लिए अपहरण का प्रत्यक्ष सबूत है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

117. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आधार लिया गया है कि टीआईपी देरी के बाद आयोजित किया गया है क्योंकि इस तरह के पूरे अभियोजन पक्ष के संस्करण को दूषित

किया जाएगा और तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वासिफ हैदर, (2019) 2 एससीसी 303** राज्य के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

118. हालांकि, यह समान रूप से तय है कि टीआईपी विवेक का एक नियम है जिसका पालन उन मामलों में किया जाना आवश्यक है जहां अभियुक्त गवाह या शिकायतकर्ता को नहीं जानता है। टीआईपी का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत स्वीकार्य है। हालांकि, यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसके बजाय, इसका उपयोग मुकदमे के समय कानून की अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में संदर्भ **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज (2000)** 1 एससीसी 247, और **सी मुनियप्पन बनाम राज्य टी.एन. (2010) 9 एससीसी 567।**

119. और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1999) 8 एससीसी 428 के मामले में टिप्पणी की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने** यह उल्लेख किया है कि यह मामला भी अपने तथ्यों पर आधारित है और जांच पहचान परेड आयोजित करने में विलंब ही पहचान को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण नहीं था।

120. इसमें, हालांकि टीआईपी कुछ दिनों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है, लेकिन अपीलकर्ता ने जिरह में कोई सवाल नहीं रखा है कि इससे उनके प्रति पूर्वाग्रह कैसे पैदा हुआ है। इसके अलावा, यहां दोषसिद्धि पूरी तरह से टीआईपी पर आधारित नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि पी.डब्ल्यू 3, 4 और 5 के बयान पर आधारित है, जिन्हें इन दो अपीलकर्ताओं, अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा 2-3 दिनों की अवधि के लिए कारावास में रखा गया था। इसलिए, पी.डब्ल्यू 6, 7 और 8 की गवाही के साथ इन गवाहों (पी.डब्ल्यू 3,4, और 5) के विशिष्ट बयान के मद्देनजर, कुछ देरी के बाद आयोजित टीआईपी को अपीलकर्ताओं- अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि टीआईपी केवल पहचान के मुद्दे की पुष्टि करने के लिए है।

121. इसके अलावा, जांच अधिकारी और पीड़ित, पी.डब्लू. 3, 4 और 5 की गवाही में यह भी आया है कि इन दो आरोपियों अर्थात् अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ पिंटू कुमार सोनी

को बीस अन्य व्यक्तियों के साथ टीआईपी पर रखा गया है, जिसमें अपीलकर्ताओं अर्थात् अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ पिंटू कुमार सोनी की पहचान की गई है, साथ ही यह तथ्य भी है कि मुकदमे के दौरान अदालत में भी उनकी पहचान की गई है।

122. पूर्वोक्त तथ्यात्मक पहलू में, यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के तहत दंड प्रावधान के पार फिर से जाना उचित और उपयुक्त समझता है, जिसमें तीन भाग शामिल हैं, (i)। अपहरण या व्यपहरण; (ii). फिरौती के प्रयोजन के लिए धमकी देना और (iii) फिरौती की ओर से भुगतान न होने की स्थिति में अपहृत या अपहृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसका अर्थ है कि दो अनिवार्य शर्तें हैं और यदि मृत्यु नहीं है और केवल धमकी दी गई है तो भी धारा लागू होगी।

123. जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की थी कि दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी दी जानी चाहिए, या अपहरणकर्ता के आचरण से उचित आशंका होनी चाहिए कि अपहृत व्यक्ति को सरकार या किसी व्यक्ति को ऐसा करने या अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर करने के लिए मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है कोई भी कार्य करना या फिरौती देना।

124. गवाहों की गवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी गवाहों ने एक स्वर में गवाही दी है कि पीड़ितों (पी. डब्ल्यू.3,4 और 5) का अपहरण तब किया गया था जब वे चंदनपुर से लौट रहे थे। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू.6 ने विशेष रूप से गवाही दी थी कि उसे अपने मोबाइल पर फिरौती की कॉल मिली थी जो उसके पति के मोबाइल नंबर द्वारा की गई थी, जिसमें उसके पति ने वर्तमान अपीलकर्ता अनिल और पिंटू का नाम लिया था। इसके अलावा, इस तथ्य को जांच अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इसलिए, धारा 364A की सामग्री पूरी तरह से आकर्षित होती है और पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई पूर्वोक्त धारा की सभी शर्तें पूरी तरह से पूरी होती हैं।

125. इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में सक्षम रहा है, जहां तक यह अपीलकर्ता अर्थात् 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 के अनिल पाल और अपीलकर्ता, अर्थात् पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी से संबंधित है, जिसे दोषी ठहराते समय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा

उचित रूप से विचार किया गया है। इसलिए जहां तक अपीलकर्ताओं, अर्थात् अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी का संबंध है, दोषसिद्धि और सजा के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>निष्कर्ष:</u>

126. परिणाम में, 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 1278 और 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 883, जहां तक यह अपीलकर्ता, अनिल पाल और पिंटू सोनी उर्फ़ पिंटू कुमार सोनी से संबंधित है, एतद्द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं।

127. जहां तक अपीलकर्ता-पप्पू पासवान का संबंध है, गवाहों की गवाही से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह वाहन चला रहा था, उसका नाम अपराध के कमीशन में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन माना जाता है कि किसी भी गवाह ने कभी भी नाम नहीं लिया है कि अपीलकर्ता-पप्पू पासवान उक्त वाहन चला रहे थे।

128. इसके अलावा, पीड़ितों, जिन्हें पी.डब्ल्यू 3, 4, और 5 के रूप में जांच की गई है, में से किसी ने भी इस अपीलकर्ता का नाम नहीं बोला है। जहां तक इस अपीलकर्ता-पप्पू पासवान की पहचान का संबंध है, पी.डब्ल्यू 3 कटघरे में परीक्षण के दौरान भी अपीलकर्ता की पहचान करने में विफल रहा।

129. अपीलकर्ता-पप्पू पासवान की मिलीभगत मोबाइल की जब्ती के आधार पर की गई है, लेकिन अभियोजन पक्ष इस सबूत को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा है कि उसके मोबाइल का इस्तेमाल फिरौती मांगने के लिए किया गया था या कथित अपराध में इस्तेमाल किया गया था।

130. इसके अलावा, जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा है कि आरोपी अनिल पाल के इकबालिया बयान के आधार पर, बोलेरो वाहन नं. जेएच्-10बी-1459 घटना में इस्तेमाल की गई को बलराम साव के घर के सामने पड़ा हुआ जब्त किया गया। इस गवाह की पहचान होने पर, उक्त जब्ती सूची को दस्तावेज-7 के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसकी प्रति उक्त वाहन के चालक पप्पू पासवान को दी गई थी, जिसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था, जिसने अपना इकबालिया बयान भी दिया और घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

131. इस गवाह के बयान पर अभियुक्त पप्पू पासवान के इकबालिया बयान को दस्तावेज-8 अंकित किया गया। इस गवाह ने बताया है कि आरोपी पप्पू पासवान के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसे जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया था।

132. यदि अपीलकर्ता पप्पू पासवान के प्रकटीकरण बयान से वाहन बरामद किया गया होता तो मामला अलग होता और उस स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को आकर्षित किया जाता, जिसमें प्रावधान है कि यदि दोषसिद्धि और बरामदगी के आधार पर है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत निहित अपवाद प्रावधान लागू होगा। लेकिन यहां पैराग्राफ 8 में दर्ज गवाही के अनुसार, अपीलकर्ता-पप्पू पासवान द्वारा किए गए कबूलनामे पर वाहन बरामद नहीं किया गया था, बल्कि अनिल पाल द्वारा किए गए खुलासे पर वाहन बरामद होने के बाद, जब्ती ज्ञापन अपीलकर्ता- पप्पू पासवान को दिया गया है। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और फिर उसका कबूलनामा दर्ज किया गया।

133. लेकिन सवाल यह है कि केवल इकबालिया बयान के आधार पर एक अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है?

134. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सह-अभियुक्त व्यक्ति की स्वीकारोक्ति के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है, भले ही उसके प्रकटीकरण पर, यदि अपराध करने में प्रयुक्त कोई आपत्तिजनक सामग्री या सामग्री कानून की स्थापित स्थिति के आधार पर बरामद की गई है, तो सह-अभियुक्त व्यक्ति का इकबालिया बयान, यहां तक कि वसूली के लिए अग्रणी, अन्य आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है।

135. इसके अलावा, 2018 (8) एससीसी 271 में रिपोर्ट किए गए सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति नहीं है। पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक प्राग्राफ यहां उद्धृत किया जा रहा है:

> *"14. किसी भी ठोस सबूत की अनुपस्थिति के अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को पूरी तरह से सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित करना अनुचित होगा। इसलिए अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने का हकदार है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को रद्द*

करते हैं उदाहरण के लिए: राज्य बनाम नलिनी, (1999) 5 एससीसी 253, पैरा 424 और 704 और अपीलकर्ता को बरी करते हैं। अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।"

136. इसी प्रकार **कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** ने **भुबोनी साहू बनाम राजा** में प्रिवी काउंसिल के निर्णय और सर लॉरेंस जेनकिंस सम्राट बनाम ललित मोहन चुकरबुट्टी में की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति वाले मामले तक पहुंचने का उचित तरीका यह है कि पहले अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को संस्वीकृति से पूरी तरह से बाहर रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को मार्शल किया जाए और यह देखा जाए कि क्या यदि यह माना जाता है, तो एक सजा सुरक्षित रूप से इस पर आधारित हो सकती है। यदि यह स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने में सक्षम है, तो स्वीकारोक्ति को सहायता में कॉल करना आवश्यक नहीं है।

137. इस न्यायालय ने पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर और कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित करना है, अब तक अपीलकर्ता-पप्पू पासवान का संबंध है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे कथित आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि अनुमान और अनुमानों पर आधारित है, जो कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत है क्योंकि अनुमान और अनुमानों के सिद्धांत पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रंग बहादुर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (सुप्रा) के मामले में निर्णय दिया गया है।**

138. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता अर्थात् पप्पू पासवान उर्फ़ पप्पू कुमार पासवान (2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 में) के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित नहीं कर पाया है। इसलिए जहां तक अपीलकर्ता-पप्पू पासवान को 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 में दोषसिद्धि और सजा का संबंध है, हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

139. तदनुसार, जहां तक अपीलकर्ता-पप्पू पासवान उर्फ़ पप्पू कुमार पासवान का संबंध है, दोषसिद्धि और सजा के आदेश का निर्णय एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

140. इसके परिणामस्वरूप, 2016 की आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 867 की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता-पप्पू पासवान उर्फ़ पप्पू कुमार पासवान को उनके आपराधिक दायित्व से बरी किया जाता है और 2015 के एसटी नंबर 214 के संबंध में न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामलों में आवश्यक नहीं है।

141. लंबित वादकालीन आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान हो जाएगा।

मैं सहमत हूं **(सुजीत नारायण प्रसाद, जे।**

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.) **(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: रांची 05/03/2024
अलंकार/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।